13

गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की समीक्षा

प्राक्कलन समिति
(2021-22)

तेरहवाँ प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

तेरहवाँ प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की समीक्षा

(..04..अप्रैल, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

..... अप्रैल 2022/चैत्र ..... 1944(शक)

विषय सूची

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति (2020-21) की संरचना		(ii)
प्राक्कलन समिति (2021-22) की संरचना		(iii)
प्राक्कथन		(v)

भाग एक

अध्याय एक	प्रस्तावना	1
अध्याय दो	एनडीआरएफ का वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन	6
अध्याय तीन	एनडीआरएफ की कार्यकरण	24

भाग दो

सिफारिशों/टिप्पणियों 46

अनुलग्नक 63

अनुबंध

I.	दिनांक 08.04.2021 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त	73
II.	दिनांक 31.03.2022 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त	75

प्राक्कलन समिति का संरचना (2020-21)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - सभापति

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री प्रदान बरूआ
5. श्री सुदर्शन भगत
6. श्री अजय भट्ट
7. श्री पी.पी. चौधरी
8. श्री नंद कुमार सिंह चौहान
9. श्री निहाल चंद चौहान
10. श्री पी.सी. गद्दीगौद
11. डॉ संजय जायसवाल
12. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
13. श्री मोहनभाई कुंडारिया
14. श्री दयानिधि मारन
15. श्री पिनाकी मिश्रा
16. श्री के मुरलीधरन
17. श्री एस.एस पलानीमणिक्कम
18. श्री कमलेश पासवान
19. डॉ के.सी. पटेल
20. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
21. श्री विनायक भाऊराव राऊत
22. श्री अशोक कुमार रावत
23. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी
24. श्री राजीव प्रताप रूडी
25. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
26. श्री जुगल किशोर शर्मा
27. श्री प्रताप सिम्हा
28. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
29. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
30. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

प्राक्कलन समिति का गठन (2021-2022)

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट - सभापति

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी.पी. चौधरी
6. श्री निहाल चंद चौहान
7. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
8. श्री हरीश द्विवेदी
9. श्री पी.सी. गद्दीगौदर
10. डॉ संजय जायसवाल
11. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
12. श्री मोहनभाई कुंडारिया
13. श्री दयानिधि मारन
14. श्री पिनाकी मिश्रा
15. श्री के मुरलीधरन
16. श्री जुएल ओराम
17. श्री एस.एस पलानीमणिक्कम
18. श्री कमलेश पासवान
19. डॉ के.सी. पटेल
20. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़
21. श्री विनायक भाऊराव राऊत
22. श्री अशोक कुमार रावत
23. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
24. श्री राजीव प्रताप रूडी
25. श्री दिलीप शइकीया
26. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
27. श्री जुगल किशोर शर्मा
28. श्री प्रताप सिम्हा
29. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
30. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

•• बुलेटिन भाग-2 नंबर 2897 दिनांक 29.07.2021 के माध्यम से प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित।

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री मुरलीधरन. पी	-	निदेशक
3.	श्री गगन कुमार	-	कमेटी ऑफिसर
4.	श्री श्रीकान्थ सिंह आर.	-	सहायक कमेटी ऑफिसर

प्रस्तावना

मैं, प्राक्कलन समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) निधि योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उपयोग की समीक्षा' विषय पर यह चौदहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) भारत सरकार की एक पूर्ण वित्त पोषित योजना है जहां निधियां सीधे जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत, संसद सदस्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करते हैं। यह योजना दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है, जिन्हें समय-समय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में समग्र सुधार का श्रेय विभिन्न हितधारियों के सहयोग से प्राप्त तालमेल और समय के साथ प्राप्त प्रचालनात्मक अनुभव, सामुदायिक भागीदारी और निगरानी को दिया जाता है।

3. प्राक्कलन समिति (2020-21) ने गहन जांच और सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) निधि योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उपयोग की समीक्षा' विषय का चयन किया। प्राक्कलन समिति (2021-22) ने विषय की जांच जारी रखी।

4. इस प्रतिवेदन में समिति ने निधि संबंधी दस्तावेजों को विलंब से प्रस्तुत करने और इसके परिणामस्वरूप निधि जारी करने में विलंब, परित्यक्त परियोजनाओं को पूरा करने, एमपीलैड स्कीम का निलंबन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेंटेज प्रभार, अनियमित तृतीय पक्ष वास्तविक मूल्यांकन, प्रशासनिक व्ययों की लेखापरीक्षा की आवश्यकता, सुविधा केन्द्रों के अनुरक्षण आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिया है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, एमपीलैड योजना कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए गैर-परिचालित रही, हालांकि बाद में इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए

बहाल कर दिया गया था। समिति ने इन मुद्दों/बिन्दुओं का विस्तार से विश्लेषण किया है और प्रतिवेदन में टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं।

5. समिति ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए 19.11.2020 और 05.01.2021 को दो बैठकें आयोजित कीं। समिति ने इस विषय पर प्रारूप प्रतिवेदन पर 31.03.2022 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया और उसे स्वीकार कर लिया।

6. समिति सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का हार्दिक धन्यवाद करती है, जिन्होंने उनके सामने उपस्थित होकर इस विषय पर अपने विचार रखे और विषय की जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की।

7. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-II में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
31 मार्च, 2022
10 चैत्र, 1944 (शक)

गिरीश भालचंद्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

प्रारूप प्रतिवेदन

अध्याय एक

आपदा गंभीर चिंता और परिमाण की आपात स्थिति है जिसका लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है, जो मानव संसाधनों, आर्थिक संसाधनों, पर्यावरण और मानव और पशु जीवन को नुकसान पहुंचाता है, जो आम तौर पर, एक सहनीय क्षमता और नियमित प्रक्रियाओं और संसाधनों से परे हैं।

1.2 इस संबंध में, गृह मंत्रालय ने 2014 में स्वीकृत एनडीआरएफ की तैनाती के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया में निम्नानुसार बताया:

"भारत पारंपरिक रूप से अपनी अनूठी भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है और हाल ही में, दुनिया के अन्य सभी देशों की तरह, यह विभिन्न मानव निर्मित आपदाओं के लिए समान रूप से कमजोर हुआ है। पिछले कुछ दशकों में आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में कई गुना वृद्धि हुई है। कई आपदाओं में, निवारक, शमन और तैयारी के उपाय करके मानव और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता था। राष्ट्रविरोधी तत्वों को आतंकवाद को अपनाना आसान और कम खर्चीला लगता है। परमाणु, जैविक और रासायनिक घटकों से जुड़ा आतंकवादी हमला सामान्य आतंकवादी हमले से अलग होता है क्योंकि इसके परिणामस्वरुप स्वास्थ्य पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है और यह घातक चोटों का कारण बन सकता है, दहशत पैदा करता है, समुदाय के मनोबल को प्रभावित करता है, और सरकार में लोगों के विश्वास को कम करता है। एक प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में एकीकृत संस्थागत व्यवस्थाएं, अत्याधुनिक पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, फेलसेफ संचार प्रणाली, खतरे का सामना करने वाले समुदायों की तेजी से निकासी, विशेष प्रतिक्रिया बलों की त्वरित तैनाती और किसी भी आपदा से निपटने में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और तालमेल शामिल हैं।

1.3 अतीत में जल्दी-जल्दी एक के बाद एक आई दो राष्ट्रीय आपदाओं, अर्थात् ओडिशा सुपर साइक्लोन (1999) और गुजरात भूकंप (2001) ने निवारण, शमन और तैयारी पर बल देने के साथ सरकार के पूर्ववर्ती राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आमूल-चूल

परिवर्तन किया, जिसका उद्देश्य विकास संबंधी कार्यों के लाभों को कायम रखना और जीवन, आजीविका और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार (जीओआई) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित करके इस दिशा में निर्णायक कदम उठाया। अधिनियम के अंतर्गत, 2006 में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र बनाया गया था।

1.4 राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) जैसे तीन महत्वपूर्ण संस्थानों/संगठनों की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का गठन आपदा की आशंका की स्थिति अथवा आंपदा में विशेष कार्रवाई के प्रयोजन से किया गया है।

1.5 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में 100 प्रतिशत कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर होते हैं जिसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से 07 वर्ष की अवधि के लिए कार्मिक प्रतिनियुक्ति आधार पर लिए जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कार्मिकों को केमीकल, बायोलोजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर (सीबीआरएन) आपात स्थितियों सहित सभी प्रकार की आपदाओं (प्राकृतिक और मानवजनित) से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की आपदा कार्रवाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है उन्हें विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबंधन/कार्रवाई उपकरणों से सुसज्जित किया जाता है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के वाहनों और संचार उपकरणों के लिए प्राधिकृत किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कार्मिकों को निम्नलिखित में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सुसज्जित किया जाता है:-

क. सीएसएसआर (ढह गए ढांचों की तलाशी एवं बचाव) कार्य
ख. एमएफआर (मेडिकल फर्स्ट रेस्पोंस)
ग. सीबीआरएन आपात स्थिति में कार्रवाई
घ. बाढ़ आपदा
ड.. माउंटेन सर्च एंड रेस्क्यू
च. डीप डाइविंग सर्च एंड रेस्क्यू
छ. केनाइन एंड टेक्नीकल सर्च
ज. एनिमल डिजास्टर रेस्पोंस

2 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल संगठन:-

1.6 महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इस बल का प्रमुख होता है तथा वह बल के दिन प्रतिदिन के कार्यों ओर अभियानों का पर्यवेक्षण करता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के मुख्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यों के मध्य स्तर का प्रबंध करने तथा एनडीआरएफ बटालियनों के कार्य का पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से 21 सहायक स्टाफ सहित 03 उप-महानिरीक्षक (सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रत्येक से 01 उप महानिरीक्षक तथा 7 सहायक स्टाफ) भी स्थानांतरित किए गए हैं।

1.7 वर्तमान में, एनडीआरएफ की 12 बटालियनें हैं और प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन में कर्मियों की संख्या 1149 है, जिसमें 18 आत्मनिर्भर खोज और बचाव अभियान दल शामिल हैं जो आपदा से निपटने और कार्रवाई करने के लिए सुसज्जित हैं। प्रत्येक टीम में इंजीनियर, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन और डॉग स्क्वायड हैं। इसके अलावा 4 बटालियनों की स्थापना की जा रही है।

3 एनडीआरएफ की भूमिका:-

1.8 क. प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदाओं की स्थिति में राहत एवं बचाव की विशेष कार्रवाई करना।

ख. आसन्न आपदाओं की स्थिति में तैनाती।

ग. आपदा के दौरान/उसके बाद राहत सामग्री के वितरण में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करना।

घ. बचाव/राहत कार्य में लगी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय।

एनडीआरएफ के कार्य

1.9 क. आसन्न आपदा की स्थिति में तैनाती

ख. आपदाओं की स्थिति में विशेष कार्रवाई करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. केमीकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर (सीबीआरएन) डिजास्टर (क्षेत्र एवं व्यक्तियों का विसंदूषण)

ii. पीड़ितों-जीवित अथवा मृतक को निकालना।

iii. पीड़ितों को फर्स्ट मैडिकल रेस्पांस।

iv. पीड़ितों का मनोबल बढ़ाना।

v. राहत सामग्री के वितरण में सिविल प्राधिकारियों की सहायता।

ग. सिस्टर एजेंसियों के साथ समन्वय

एनडीआरएफ की कार्य पद्धति:-

1.10 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आपदा के स्थान पर निर्धारित अपेक्षित उपकरणों के साथ न्यूनतम समय-सीमा के भीतर पहुंचता है। एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार आपदा पूर्व/आसन्न आपदा के चरण में तथा वास्तविक आपदा के दौरान तैनाती के लिए एनडीआएफ की टीमों की मांग की जा सकती है।

क. **आपदा-पूर्व चरण** - जब इस बात का पर्याप्त कारण हो कि आपदा की गंभीरता से निपटना राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर होगा तो आसन्न आपदा से निपटने के लिए पहले से कार्रवाई के उपायों के रूप में राज्य सरकार एनडीआरएफ की यूनिट/सब-यूनिटों की पहले से तैनाती का अनुरोध कर सकती है। बाढ़, चक्रवात, सुनामी तथा अन्य ऐसी आपदाओं में, जिनकी भविष्यवाणी की जा सकती है अथवा पूर्व चेतावनी जारी की जा सकती है, एनडीआरएफ संबंधित राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से तथा आईएमडी (भारत मौसम विभाग), सीडब्ल्यूसी (रासायनिक आयुध अभिसमय) और आईएनसीओआईएस (भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र) आदि जैसी पूर्व चेतावनी एजेसियों की भविष्यवाणी के अनुसार अपनी टीमों को पहले से तैनात करता है।

ख. **आपदा के दौरान** - जब आपदा लेवल-।।। की हो अर्थात् जब आपदा की गंभीरता इतनी अधिक हो कि एसडीआरएफ (राज्य आपदा मोचन बल) का उचित प्रयोग करने के बाद भी इससे निपटना राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो, तो इससे

निपटने के लिए राज्य सरकार अथवा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एनडीआरएफ की टीम अथवा कंपनी द्वारा विशेष आपदा कार्रवाई का अनुरोध कर सकता है।

1.11 राज्य सरकार के निम्नलिखित प्राधिकारी, अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में आई आपदा का पूरा विवरण देते हुए एनडीआरएफ की टीमों की मांग कर सकते हैं:-

- आपदा प्रबंधन को देखने वाले राज्यों के प्रधान सचिव।
- राज्यों के राहत आयुक्त।
- जिलों के कलेक्टर/डीसी/डीएम।

इसके अतिरिक्त, जब आपदा बड़ी हो तो समय की बचत के लिए एनडीआरएफ की टीमों को टेलीफोन पर किए गए अनुरोध पर भी भेजा जाता है क्योंकि किसी भी कार्रवाई के दौरान समय बहुत महत्वपूर्ण होता है।

1.12 समिति को अपने पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि अपने गठन के प्रारंभ से ही एनडीआरएफ ने देश में आई विभिन्न आपदाओं तथा अंतरराष्ट्रीय आपदाओं अर्थात् जापान में आई सुनामी (2011) तथा नेपाल में आए भूकंप (2015) में प्रभावी कार्रवाई की है। एनडीआरएफ ने अनेक अभियान चलाए हैं। पिछले कुछ समय में एनडीआरएफ सीबीआरएन आपदा की स्थितियों सहित सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं से निपटने में सक्षम एक जाना-पहचाना, वायब्रैंट, मल्टी-स्किल्ड, हाईटेक और स्टैंडअलोन बल बन गया है। आपदाओं के बाद एनडीआरएफ ने विभिन्न बचाव और राहत अभियान चलाए हैं।

अध्याय दो

एनडीआरएफ का वित्तीय और वास्तविक प्रदर्शन

एनडीआरएफ का बजट आवंटन

दिनांक 8 अप्रैल, 2021 को एनडीआरएफ और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य के दौरान, समिति ने धन की कमी के कारण एनडीआरएफ के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा, जिस पर एनडीआरएफ के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

"हम लोगों का जो औसतन बजट है, मैं इस साल के प्रोजेक्टेड बजट की फिगर दे सकता हूं। यह 1,281 करोड़ रुपये है। वैसे औसतन 1,000 करोड़ रुपये से 1,100 करोड़ रुपये का बजट पिछले कुछ सालों में रहा है। इसमें सैलरी कंपोनेंट करीब 700-800 करोड़ रुपये के बीच का रहता है।

हमारी जो जरूरतें हैं, उनमें बड़ी जरूरत इन्फ्रास्ट्रक्चर की है। हम चाहते हैं कि हर बटालियन का इन्फ्रास्ट्रक्चर बने। इसके लिए स्वतंत्र ईएफसी ऑलरेडी निर्धारित है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा सफिशिएंट फंड दिया गया है। इससे हम लोग कन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। 11 बटालियंस में कन्स्ट्रक्शन का काम चालू है। कहीं जमीन न मिलने के कारण या देरी से जमीन मिलने के कारण थोड़ी सी समस्या है, लेकिन कन्स्ट्रक्शन का काम चालू है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 80-90 परसेंट काम खत्म हो जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक कन्स्ट्रक्शन का पूरा काम खत्म हो जाएगा। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हुई।

हम लोग एक इक्युपमेंट ड्रिविन फोर्स हैं। हम उपकरण द्वारा संचालित होते चलते हैं। हमारे पास 310 इक्युपमेंट्स ऑथराइज्ड हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे वर्टिकल्स हैं - कोलैब स्ट्रक्चर, सर्च एंड रेस्क्यु, फ्लड-वॉटर रेस्क्यु, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स आदि। इन वर्टिकल्स के आधार पर हम लोग कार्यवाही करते हैं और हमारे इक्युपमेंट्स बंधे हुए हैं। इक्युपमेंट्स के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स आते हैं और अपग्रेडेशन भी हो रहा है। एक अच्छी बात है, जैसा कि मैं कह रहा था कि 15वें वित्त आयोग में एक स्पेशल डिसपेनसेशन दिया गया है। केपेसिटी बिल्डिंग

इन नेशनल लेवल इन डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के तहत नेशनल लेवल की जो एजेंसियां हैं, चाहे वह एनआईडीएम हो, एनडीएमए हो या एनडीआरएफ हो, उनकी केपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसके तहत भी एक विन्डो खुल गई है। इसका प्रस्ताव ऑलरेडी पारित है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके तहत भी हमें सफिशिएंट फंड्स मिलेंगे, जिससे हमें अपग्रेडेशन में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, हम सरकार के समर्थन से बहुत संतुष्ट हैं। जो भी इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं, उनके लिए भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। मेरे विचार से हम अच्छी स्थिति में हैं।"

गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने आगे इस प्रकार बताया:

"मैं गत तीन वर्षों के बजट के परिपेक्ष्य में बताना चाहूंगा। वर्ष 2019-20 में इनका 1,028.24 करोड़ रुपये का बजट था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1,121.74 करोड़ रुपये हो गया और इस साल का बजट, जैसा कि इन्होंने बताया है, वह 1,281.41 करोड़ रुपये है। अत: इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है।"

2.2 समिति के प्रश्न के संबंध में, एक लिखित उत्तर में, मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बजट आवंटन, संशोधित आवंटन और वास्तविक उपयोग का निम्नलिखित ब्योरा दिया:

लेखा शीर्ष	2016-17			2017-18			2018-19		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
राजस्व	558.89	670.66	670.41	598.35	757.28	754.53	814.10	827.73	824.49
पूंजी	221.12	175.01	174.93	231.92	227.68	227.44	240.00	208.00	207.91

एनईसीपी	7.01	6.00	6.00	8.01	8.81	8.80	18.22	15.22	15.19
एनडीआरआर	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
कुल बजट	**787.02**	**851.67**	**851.34**	**888.28**	**1043.77**	**1040.77**	**1122.32**	**1100.95**	**1097.59**

लेखा शीर्ष	**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**
	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**	**बजट अनुमान**
राजस्व	912.52	905.89	886.69	971.20	1002.62	952.28	1138.09
पूंजी	159.54	142.52	141.55	119.52	169.52	169.46	143.32
एनईसीपी	3.01	3.00	2.93	0.02	0.00	0.00	0.02
एनडीआरआर	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.01
कुल बजट	**1125.07**	**1101.41**	**1081.17**	**1140.74**	**1222.14**	**1171.74**	**1281.44**

2.3 वेतन, प्रशिक्षण, नए उपकरणों की खरीद, मौजूदा उपकरणों के रखरखाव, अवसंरचना, भवन निर्माण और उनके रखरखाव तथा अन्य विभिन्न शीर्षों पर प्रतिशत आबंटन और व्यय के ब्योरे

के संबंध में समिति के लिखित प्रश्न के बारे में मंत्रालय ने विगत पांच वर्षों का निम्नवत ब्योरा दिया:

लेखा शीर्ष	2016-17 (करोड़ रु. में)				2017-18 (करोड़ रु. में)				2018-19 (करोड़ रु. में)			
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	व्यय %	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	व्यय %	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	व्यय %
वेतन	464.00	580.92	580.86	99.99	494.61	656.11	655.60	99.92	708.60	725.00	724.16	99.88
ओएई (प्रशिक्षण के लिए)	1.25	1	0.69	69.24	1.25	1.25	0.94	75.36	1.25	1.50	1.15	77.07
एफटीई (प्रशिक्षण के लिए)	0.30	0.30	0.30	100	0.30	0.30	0.27	90	0.30	0.25	0.20	80

एमएंडई (नए उपकरणों की खरीद के लिए)	38	32	31.97	99.9	41.90	33.72	33.70	99.94	40	40	39.97	99.92
एनईसीपी (नए उपकरणों की खरीद के लिए)	7.01	6	6	100	8.01	8.81	8.80	99.88	18.22	15.22	15.19	99.80
एमडब्ल्यू (मौजूदा उपकरणों के रखरखाव के लिए)	2.50	2	0.75	37.60	3	2.50	0.76	30.63	3	3	0.96	32.14
कार्यालय भवन (अवसंरचना के लिए)	81.54	80	80	100	100	102.48	102.29	99.81	110	94.43	94.38	99.94

आवासीय भवन (अवसंरचना के लिए)	81.54	50	50	100	80	81.48	81.48	100	80	63.57	63.57	100

लेखा शीर्ष	2019-20 (करोड़ रु. में)				2020-21 (करोड़ रु. में)			
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	%व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	% व्यय
वेतन	788.00	748.00	740.03	98.93	828.00	828.00	779.37	94.13
ओएई (प्रशिक्षण के लिए)	1.50	1.97	1.28	65.40	2.10	2.10	1.20	57.26
एफटीई (प्रशिक्षण के लिए)	0.40	0.32	0.23	71.87	0.40	0.02	0.01	50

एमएंडई (नए उपकरणों की खरीद के लिए)	40	23	22.62	98.34	23	53	52.98	99.2
एनईसीपी (नए उपकरणों की खरीद के लिए)	3.01	3	2.93	97.6	.02	0	0	0
एमडब्ल्यू (मौजूदा उपकरणों के रखरखाव के लिए)	5	5	1.43	28.77	5	5	1.39	27.92
कार्यालय भवन (अवसंरचना के लिए)	68	68	67.51	99.27	52	65	65.03	100
आवासीय भवन (अवसंरचना के लिए)	27.00	27.00	27.00	100	20	27	27	100

<u>एनडीआरएफ की बटालियनों तथा क्षेत्रीय मोचन केन्द्रों के लिए अवसंरचना का विकास</u>

2.4 यह देखा गया कि देश में एनडीआरएफ की बटालियनों और क्षेत्रीय मोचन केन्द्रों के लिए अवसंरचना मुहैया कराने और उसके विकास में विलंब हुआ है। लिखित उत्तर देते हुए मंत्रालय ने बताया कि 1272.26 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत से 11 बटालियनों, 10 टीम लोकेशंस और एनडीआरएफ अकादमी में अवसंरचना के विकास का अनुमोदन प्रदान किया गया है। एनडीआरएफ बटालियनों और टीम लोकेशंस के अवसंरचना विकास में विलंब निम्न कारणों से हुआ:-

i. स्थानीय निकायों द्वारा भूमि आबंटन/अधिग्रहण और अनापत्ति में विलंब ;

ii. विभिन्न स्थानीय मुद्दे;

iii. राज्य सरकार द्वारा भूमि का परिवर्तन (असम, कृष्णा में एनडीआरएफ की बटालियन के लिए)

iv. कोविड-19 की वैश्विक महामारी आदि के कारण

06 बटालियन लोकेशंस और 6 टीम लोकेशंस में अवसंरचना लगभग पूरी हो गई है तथा अंतिम बिलों की प्रक्रिया चल रही है:-

- बटालियन लोकेशन: कोलकाता, मुंडाली, अराक्कोणम, पुणे, वडोदरा और कृष्णा ।
- टीम लोकेशन: सिलिगुड़ी, कोलकाता, द्वारका, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और बालासौर।

3 बटालियन लोकेशंस और 3 टीम लोकेशंस में अवंसरचना पूरी होने वाली है और इसके 2021-2022 तक पूरे होने की संभावना है:-

- लुधियाना, गाजियाबाद और पटना में बटालियन लोकेशन ।
- देहरादून, किशनगढ़ और सुपौल में टीम लोकेशेन।

2.5 आगे समिति को बताया गया कि शेष एनडीआरएफ बटालियनों और टीम लोकेशन में अवसंरचना के विकास की प्रक्रिया चल रही है तथा इन स्थानों पर जगह या तो मूल विभाग (बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी) द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराई जाती है

अथवा इसे किराए पर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ अकादमी, नागपुर में पुराने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय और एनसीडीसी (अब जिसका एनडीआरएफ अकादमी में विलय कर दिया गया है) के परिसर से कार्य कर रही है।

2.6 समिति ने मंत्रालय से बटालियन-वार विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति, अब तक आबंटित, उपयोग की गई निधियों तथा उस तारीख, जिस तक इनमें से प्रत्येक परियोजना को पूरा किए जाने की संभावना है, के बारे में पूछा।

2.7 मंत्रालय ने तद्नुसार परियोजना की स्थिति (बटालियन/आरआरसी-वार) निम्नवत बताई:

एनडीआरएफ बटालियन						(करोड़ रु. में)
क्र. सं.	बटालियन का नाम	ईएफसी द्वारा अनुमोदित राशि	स्वीकृत राशि	अब तक हुआ व्यय	पूरा किए जाने की संभावित तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7

1	01 बटालियन एनडीआरएफ, गुवाहाटी	5.76				राज्य को भूमि की लागत का भुगतान कर दिया गया है। केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 04.02.2021 को हुई बैठक में असम के मुख्य सचिव ने यह सूचित किया था कि एनडीआरएफ को आबंटित भूमि ईको-संवेदनशील जोन में आ रही है। इसलिए आबंटित भूमि पर निर्माण नहीं किया जा सकता है। तथापि, असम सरकार एनडीआरएफ की 1st बटालियन के लिए वैकल्पिक भूमि आबंटित नहीं करेगी। असम राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि का निर्धारण नहीं किया गया है। अत: कार्य शुरू नहीं किया जा सका था। 06.07.2021 को अपर सचिव (यूटी) की अध्यक्षता में एक फोलोअप वीडियो कांफ्रेंस बैठक भी आयोजित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि का निर्धारण किया जा रहा है।

		95.03	86.68	0.13		भूमि ईको संवेदनशील जोन में थी। अत: कार्य शुरू नहीं किया जा सका। यदि राज्य सरकार द्वारा भूमि मुहैया करा दी जाती है तो कार्य मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा।
	कुल 01 बटालियन	100.79	86.68	0.13		
2	2 बटालियन एनडीआरएफ, हरिनघाटा	109.48	91.23	84.77	पूरा किया गया	निर्माण कार्य 17.09.2019 को पूरा कर लिया गया है।
3	3 बटालियन एनडीआरएफ, मुंडाली	20.36	22.38	22.34	पूरा किया गया	निर्माण कार्य 16.09.2019 को पूरा कर लिया गया है।
4	4 बटालियन एनडीआरएफ, एराकोणम	10.64	9.17	8.82	पूरा किया गया	समस्त निर्माण कार्य 26.06.2020 को पूरा हो गया है।

5	5 बटालियन एनडीआरएफ, पुणे, महाराष्ट्र	120.56	108.19	99.53	पूरा किया गया	समस्त निर्माण कार्य पूरा हो गया है, कुछ छोटा-मोटा निर्माण कार्य बाकी है और उसे एक-दो महीने में पूरा किए जाने की संभावना है।
6	6 बटालियन एनडीआरएफ, बड़ौदरा	119.10	113.57	112.64	पूरा किया गया	समस्त निर्माण कार्य 22.12.2018 को पूरा हो गया है।
7	7 बटालियन एनडीआरएफ, लुधियाना	85.30	80.64	66.80	31.03.2022	85% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
8	8 बटालियन एनडीआरएफ, गाजियाबाद	99.36	85.39	46.76	31.03.2022	समस्त कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य 06.03.2019 को पूरा हो गया है। आवासीय भवन का कार्य प्रगति पर है।
9	09 बटालियन एनडीआरएफ, पटना	107.29	93.18	52.95	31.03.2022	70% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

10	10 बटालियन एनडीआरएफ, कृष्णा	98.82	98.91	81.53	पूरा किया गया	समस्त निर्माण कार्य जून, 2021 में पूरा हो गया है
11	12वीं बटालियन एनडीआरएफ, होर्लोगी	33.35	33.35	33.35		भूमि की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा भूमि अधिगृहित कर ली गई है।
		130.27	119.69	6.94	31.03.2023	10% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
12	एनडीआरएफ अकादमी, नागपुर	85.16	76.53		31.03.2023	08% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

आरआरसी/टीम लोकेशन						
						(करोड़ रु. में)
क्र. सं.	बटालियन का नाम	ईएफसी द्वारा अनुमोदित राशि	स्वीकृत राशि	अब तक हुआ व्यय (5+6)	पूरा किए जाने की संभावित तारीख	स्थिति

1	2	3	4	5	6	7
1	सिलीगुड़ी, 02 बटालियन	2.89	2.90	2.90		भूमि की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा भूमि अधिगृहित कर ली गई है।
		4.95	4.67	4.55	पूरा हो गया है	कार्य 18.09.2019 को पूरा हो गया है
2	कोलकाता, 02 बटालियन	5.29	5.29	5.29		भूमि की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा भूमि अधिगृहित कर ली गई है।
		5.16	6.01	4.89	पूरा हो गया है	कार्य 18.09.2019 को पूरा हो गया है
3	गांधीनगर, 06 बटालियन	7.87	7.87	7.87		भूमि की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा भूमि अधिगृहित कर ली गई है।

			0.39	0.39		पहले से आबंटित भूमि के लिए स्टाम्प ड्यूटी की राशि का भुगतान कर दिया गया है।
		4.81			31.03.2023	कार्य अभी शुरू होना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के चयन के बारे में गृह मंत्रालय का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
	कुल (गांधीनगर)	12.68	8.26	8.26		कार्य 31.03.2023 को पूरा हो गया है
4	किशनगढ़, राजस्थान, 06 बटालियन	2.42	2.42	2.42		भूमि की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा भूमि अधिगृहित कर ली गई है।
		6.50	4.52	3.51	31.03.2022	84% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

5	द्वारका, नई दिल्ली, 08 बटालियन	4.03	4.05	4.05		भूमि की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा भूमि अधिगृहित कर ली गई है।
		20.84	19.75	15.67	31.09.2021	95% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
6	देहरादून, 08 बटालियन	4.00				भूमि का नि:शुल्क अधिग्रहण कर लिया गया है।
		4.48	4.17	2.81	31.12.2021	86% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
7	बैंगलुरु, 10 बटालियन	6.49	6.20	4.15	31.03.2022	81% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
8	बालासौर, 3री बटालियन	3.00				भूमि की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा भूमि अधिगृहित कर ली गई है।
		7.00	6.31	4.26	31.03.2022	90% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
9	सुपौल, 9वीं बटालियन	4.00				1 रु. की सांकेतिक राशि से पट्टा आधार पर भूमि अधिगृहित कर ली गई है

		6.55	5.92	2.42	31.03.2022	44% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
10	विशाखापट्टनम 10 बटालियन	4.00				भूमि का नि:शुल्क अधिग्रहण कर लिया गया है।
		5.57	6.18	4.68	31.09.2021	97% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

2.8 अवसंरचना परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि एनडीआरएफ ने निष्पादन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति/गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करने के लिए निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग हेतु एनडीआरएफ की प्रत्येक लोकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (पीएमजी) का गठन किया था। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ अवसंरचना के निर्माण का कार्य निष्पादन एजेंसियों को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉड में सौंपा जाता है, जहां डिजाइन, अवसंरचना के निर्माण, कार्य की गुणवत्ता, समय पर काम को पूरा किए जाने आदि की समस्त जिम्मेदारी निष्पादन एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की होती है। एनडीआरएफ की सभी लोकेशंस पर निर्माण गतिविधियों/स्थिति की मॉनीटरिंग करने के लिए संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा और मानीटरिंग करती है।

2.9 साक्ष्य के दौरान समिति ने पूछा है कि चूंकि गोवा में कोई आरआरसी नहीं है, तो क्या उसकी राज्य सरकार का ऐसा कोई अनुरोध था। एनडीआरएफ के एक प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि गोवा राज्य से अनुरोध आया है और उन्हें भूमि की खोज करने के लिए कहा गया है और उत्तर में उन्होंने कुछ विकल्प भी दिए हैं।

2.10 जब रीजनल रेस्पोंस सेंटर की स्थापना करने के लिए निर्धारित मानदंडों का विवरण तथा उन राज्यों के नाम, जिनमें अभी तक कोई आरआरसी नहीं है, के संबंध में पूछा गया तो समिति को निम्नवत बताया गया:-

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व और 2006 में एनडीआरएफ के गठन के पश्चात आपदाओं के दौरान तत्काल कार्रवाई करने के लिए देश में खतरे की स्थिति के आधार पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रीजनल रेस्पोंस सेंटर (आरआरसी) का गठन किया गया था। इनमें से अधिकांश आरआरसी को बाद में एनडीआरएफ को सौंप दिया गया। एक आरआरसी के लिए सामान्यत: लगभग 10000 वर्गफीट बिल्ट-अप एरिया या 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। इस समय विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 28 आरआरसी हैं। इनकी सूची **अनुबंध–क** के रूप में संलग्न है। सात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् गोवा, मेघालय, चंडीगढ़, दादरा एव नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में कोई एनडीआरएफ/बटालियन/आरआरसी नहीं है। तथापि, ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनडीआरएफ की निकट की बटालियन/आरआरसी लोकेशन में कवर होते हैं।

*****

अध्याय तीन

एनडीआरएफ का कार्यकरण

बटालियनों की तैनाती, उनकी क्षमता और संख्या

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिससे बटालियनों को एनडीआरएफ में परिवर्तित किया गया है, में कार्मिकों की कमी का पता लगाने के लिए किसी प्रकार की समीक्षा के संबंध में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "अब तक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 16 बटालियनें गठित की गई हैं। इन 16 बटालियनों में से 8 बटालियनों का गठन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 8 मानक बटालियनों अर्थात् (सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल प्रत्येक की 02 बटालियन) का अपग्रेडेशन/परिवर्तन करके 2006 में किया गया था। तत्पश्चात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल प्रत्येक की एक बटालियन को 2010 में एनडीआरएफ की बटालियनों में परिवर्तित कर दिया गया। इसके पश्चात वर्ष 2015 में सशस्त्र सीमा बल की दो बटालियनों को एनडीआरएफ की बटालियनों में परिवर्तित कर दिया गया। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदा बटालियनों का अपग्रेडेशन/परिवर्तन करके एनडीआरएफ की इन 12 बटालियनों का गठन करते समय सरकार द्वारा इन बटालियनों के बदले में कोई अतिरिक्त बटालियन गठित न करने का स्पष्ट निर्णय लिया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि एनडीआरएफ के गठन से पूर्व सशस्त्र बल किसी आपदा के आने पर प्रथम कार्रवाईकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे।"

3.2 इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006 से केन्द्र सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 171 नई बटालियनें स्वीकृत की हैं जिनमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 58 बटालियनें, सशस्त्र सीमा बल में 39 बटालियनें, सीमा सुरक्षा बल में 35 बटालियनें, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में 33 बटालियनें और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 6 बटालियनें शामिल हैं। इन बटालियनों का गठन प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं तथा सक्रिय ड्यूटी पर तैनात यूनिटों को विश्राम, राहत

देने और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अन्य प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता जैसे विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वर्ष 2006, 2010 और 2015 में 12 बटालियनों के एनडीआरएफ बटालियनों में परिवर्तन के कारण केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों/बटालियनों की संख्या में कोई कमी अस्थायी थी और इन कमियों को 2006 से अगले वर्षों में विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 171 नई बटालियनों का गठन करके पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नई बटालियनों का गठन एक गतिशील प्रक्रिया है और जब कभी जरूरत होगी तो प्रचालन आवश्यकता के आधार पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नई बटालियनों का गठन किया जाता रहेगा।"

3.3 आगे समिति ने एनडीआरएफ की संख्या का आकलन करने की प्रक्रिया और उस अवधि का विवरण, जिस अवधि में इस प्रकार का आकलन किया गया था, एनडीआरएफ को प्रतिनियुक्ति आधारित बल बनाए जाने के कारणों तथा एनडीआरएफ के प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों का प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों द्वारा किस प्रकार निपटान किया जा रहा है, के संबंध में जानना चाहा तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> "एनडीआरएफ की संख्या का इसके प्रारंभ से ही समय-समय पर आकलन किया गया है। ऐसे आकलन के आधार पर बटालियनों की संख्या को वर्ष 2006 में प्रारंभिक 8 बटालियनों से बढ़ाकर वर्ष 2010 में 10 बटालियन और तत्पश्चात वर्ष 2015 में 12 बटालियन कर दिया गया था। इसके पश्चात एनडीआरएफ की संख्या में और वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। तदनुसार सरकार ने आपदा की किसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एनडीआरएफ की चार बटालियनों का गठन करने का निर्णय लिया था। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ की जनशक्ति का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है।
>
> एनडीआरएफ का गठन एक ऐसे बहु-आयामी, बहु-कौशल वाले और उच्च तकनीकी वाले स्टैंडएलोन बल के रूप में किया गया था जो प्राकृतिक अथवा मानवजनित सभी प्रकार की आपदाओं तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (सीबीआरएन) आपात स्थितियों सहित आपदा जैसी स्थितियों में प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम हो।

प्रतिनियुक्ति आधारित बल के पीछे तर्क यह है कि यह बल एक युवा बल होना चाहिए जिसमें सामान्यत: 30 से 45 वर्ष के आयु वर्ग वाले कार्मिक हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्मिक तदरुस्ती का उच्चतम स्तर कायम रख सकते हैं। यह उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और उनसे अपेक्षित कौशल और योग्यताओं को देखते हुए महत्वपूर्ण है जिनमें भूकंप अथवा अन्य आपदाओं से ढह गए ढांचे के मलबे को हाथ से खोदना और लोगों को बचाने के लिए बाढ़ के पानी में तैरना शामिल है।

एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त एनडीआरएफ के कार्मिकों के संबंध में प्रचालन और प्रशासनिक शक्ति महानिदेशक, एनडीआरएफ में निहित है। तथापि, एनडीआरएफ के कार्मिकों के सेवा संबंधी सभी मामलों का निपटान एनडीआरएफ के नियम 8 के अनुसार संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा किया जाता है। यह प्रणाली पिछले 15 वर्ष से प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है।"

3.4 एनडीआरएफ में आने वाले विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के प्रशिक्षण की अवधि और इन तीन बटालियनों का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था और यह प्रशिक्षण कब समाप्त होगा इसके संबंध में एक लिखित प्रश्न पूछा गया।

3.5 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के एनडीआरएफ में आने के बाद इंडक्ट किए गए कार्मिकों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार यूनिट स्तर पर 19 सप्ताह का "बेसिक कोर्स ऑफ डिजास्टर फर्स्ट रेस्पोंडर" करना होता है:-

क्र. सं.	बेसिक कोर्स के मॉड्यूल का नाम	अवधि
I	ओरिएंटेशन कोर्स	1 सप्ताह
II	सीएसएसआर	3 सप्ताह
III	एमएफआर	3 सप्ताह

IV	रोप रेस्क्यू	2 सप्ताह
V	एक्युटिक डिजास्टर रेस्पोंस कोर्स	4 सप्ताह
VII	शव प्रबंधन कोर्स	3 दिन
VIII	पशु आपदा प्रबंधन कोर्स	1 सप्ताह
IX	फायर फाइटिंग कोर्स	3 दिन
X	बेसिक सीबीआरएन	4 सप्ताह
	कुल	**19 सप्ताह**

3.6 इसके अतिरिक्त, चयनित और पात्र कार्मिक विभिन्न एडवांस कोर्स कर रहे हैं जैसे:-

यूनिट स्तर पर अतिरिक्त कोर्स		**अवधि**	**लोकेशन**
1.	ऑक्जी फ्यूल कटिंग कोर्स	04 दिन	सभी एनडीआरएफ बटालियन
2.	स्कूल सुरक्षा कोर्स	03 दिन	
3.	उपकरण हैंडलिंग तथा रखरखाव कोर्स	02 सप्ताह	
4.	नौका अनुरक्षण कोर्स	04 दिन	
एनडीआरएफ कंपनी का सामूहिक प्रशिक्षण			

1.	एनडीआरएफ कंपनी का सामूहिक प्रशिक्षण	06 सप्ताह	सभी एनडीआरएफ बटालियन
एनडीआरएफ कार्मिकों के लिए एडवांस कोर्स			
1.	टीओटी एमएफआर एंड सीएसएसआर (सीटी से एएसआई)	05 सप्ताह	एनडीआरएफ अकादमी नागपुर
2.	टीओटी एमएफआर एंड सीएसएसआर	04 सप्ताह	
3.	एमएफआर और सीएसएसआर में टीओटी (पुनश्चर्या)	02 सप्ताह	
4.	एमटी एमएफआर और सीएसएसआर	01 सप्ताह	
5.	एमएफआर और सीएसएसआर में एमटी (पुनश्चर्या)	01 सप्ताह	
6.	विद्यालय सुरक्षा और मॉक अभ्यास में टीओटी	01 सप्ताह	
7.	बोरवेल कोर्स	03 दिन	
8.	अग्निशमन कोर्स	2 सप्ताह	
9.	टीओटी कॉडर	02 सप्ताह	2$^{री}$ बटालियन एनडीआरएफ
10.	टीओटी सीबीआरएन	04 सप्ताह	5$^{वी}$

11.	टीओटी सीबीआरएन रिफ्रेशर कोर्स	02 सप्ताह	बटालियन एनडीआरएफ
12.	एमटी सीबीआरएन	02 सप्ताह	
13.	एमटी सीबीआरएन रिफ्रेशर कोर्स	01 सप्ताह	
14.	एनडीआरएफ के लिए रॉप रेस्क्यू कोर्स	1 सप्ताह	एनडीआरएफ अकादमी नागपुर
15.	आईआरएस कोर्स	1 सप्ताह	
16.	आईएनएसएआरएजी कोर्स	1 सप्ताह	
17.	स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स	2 सप्ताह	
18.	आपदा में मनो-सामाजिक पहल	1 सप्ताह	
19.	मीडिया प्रबंधन कोर्स	03 दिन	
20.	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन	05 दिन	

नवगठित तीन बटालियनों का प्रशिक्षण विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	यूनिट का नाम	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल संगठन	प्रशिक्षण शुरू किया गया	प्रशिक्षण पूरा किया गया/पूरा किया जाना है
01	13 बटालियन एनडीआरएफ	असम राइफल्स	07 सितम्बर, 2020	16 जनवरी, 2021
02	14 बटालियन एनडीआरएफ	आइटीबीपी	14 दिसम्बर, 2020	31 अगस्त, 2021
03	15 बटालियन एनडीआरएफ	आईटीबीपी	18 जनवरी, 2021	14 अगस्त, 2021

3.7 साक्ष्य के दौरान मंत्रालय ने समिति को बताया कि 4 बटालियनों का गठन किया जा रहा है। समिति ने प्रश्नों की एक लिखित सूची में विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल से 1 बटालियन के गठन की स्थिति और प्रक्रिया को जानने की इच्छा व्यक्त की।

3.8 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

> "सीमा सुरक्षा बल से 01 एनडीआरएफ बटालियन के गठन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। कुल 139 कार्मिकों का प्रतिनियुक्ति पर चयन किया गया है। जिनमें से 103 कार्मिकों ने ज्वाइन कर लिया है। सीमा सुरक्षा बल ने यह सूचित किया है कि उनके संगठन में कार्मिकों की भारी कमी के कारण वे बटालियन के लिए मंजूरी के अनुसार शेष जनशक्ति मार्च 2022 के बाद ही मुहैया करवा सकेंगे।"

3.9 मंत्रालय ने समिति को आगे बताया कि सरकार एनडीआरएफ की सभी बढ़ती ज़रूरतों और आवश्यकताओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील है और इसके आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है तथा सभी संभव सहायता कर रही है ताकि संपूर्ण भारत में एनडीआरएफ द्वारा

पर्याप्त और यथाशीघ्र राहत पंहुचाई जा सके। मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि सरकार एनडीआरएफ की अपेक्षा और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है और इसे पूरा करने हेतु हरसंभव प्रयास कर रहा है। तैयारी एक सतत प्रक्रिया है तथा आवश्यकता, निधि और कार्यबल की उपलब्धता, प्रशिक्षण क्षमता, बटालियन की अवसंरचना, आदि जैसे विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए इसकी नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम निम्न प्रकार हैं:

i. देश में आने वाली अप्रत्याशित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ की सभी बटालियनों की प्रचालनगत तैयारी और प्रशिक्षण की नियमित रूप से मॉनीटरिंग और समीक्षा की जाती है।

ii. सामुदायिक तैयारी को बढ़ाने के लिए विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रमों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन।

iii. भारतीय रेलवे, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बहु-दुर्घटना जोखिम पूर्ण उद्योग और विद्यालयों जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं;

iv. बल को नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों की जानकारी देने के लिए एनडीआरएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला/फील्ड अभ्यासों का आयोजन भी किया जाता है;

v. एनडीआरएफ के लोकेशन से आपदा स्थल तक एनडीआरएफ की टीमों की शीघ्र रवानगी कर पाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में एक मानक एनडीआरएफ बटालियन में वाहनों की मंजूरी को प्रति बटालियन 80 वाहन से बढ़ाकर 104 वाहन किया गया।

vi. आने वाले वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले एनडीआरएफ के आपदा प्रबंधन उपकरणों की समीक्षा;

vii. संचार उपकरणों की समीक्षा;

viii. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की अध्यक्षता करने के लिए निदेशक के पद का सृजन;

ix. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी में 17 पदों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है;

x. एनडीआरएफ की बटालियनों और आरआरसी/टीम लोकेशंस के लिए भूमि के शीघ्र निर्धारण और आबंटन के बारे में केन्द्रीय गृह सचिव की असम, हिमाचल प्रदेश,

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और चंडीगढ़ के मुख्य सचिव के साथ बैठक। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की बटालियनों के लिए भूमि का आबंटन किया गया है। इससे उत्तराखंड में भूमि के निर्धारण तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर में नवगठित बटालियनों के लिए अस्थायी आवास मुहैया कराने में भी मदद मिली है। इसके अनुसरण में अपर सचिव, गृह मंत्रालय के स्तर पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राहत आयुक्तों के साथ भी एक फॉलोअप मीटिंग की गई थी।

xi. पूरे भारत में आपदा के दौरान तुरंत राहत मुहैया कराने के लिए वर्ष 2018 में एनडीआरएफ की आरआरसी लोकेशंस की संख्या को 23 से बढ़ाकर 28 किया गया।

xii. 11वीं बटालियन, 10 टीमों की लोकेशन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी में अवसंरचना के विकास को अनुमोदन प्रदान किया गया जो प्रगति के विभिन्न स्तरों पर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी के मुख्यालय के लिए वसंत कुंज, नई दिल्ली में भूमि आबंटित की गई है।

xiii. व्यय वित्त समिति ने 28.07.2021 को हुई अपनी बैठक में अवसंरचना विकास की स्कीम का फिर से मूल्यांकन किया है और चल रही सब-स्कीम्स को विस्तार प्रदान किया है तथा 2021-22 के बाद इसके कार्यान्वयन के लिए तीन नई सब-स्कीम्स अर्थात् एनडीआरएफ की नवगठित और 11वीं बटालियन के गठन के लिए भूमि का अधिग्रहण, नई दिल्ली में एनडीआरएफ के मुख्यालय के लिए अवसंरचना और एनडीआरएफ के 8 रीजनल रेस्पोंस सेंटर को शामिल किए जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया है।

xiv. उपकरणों और मोटर वाहनों की खरीद के लिए एनडीआरएफ को प्रतिवर्ष पर्याप्त निधियां प्रदान की जाती हैं।

एनडीआरएफ़ की भूमिका और कार्य

3.10 **समिति यह जानना चाहती है कि एनडीआरएफ विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान आने वाली किसी भी समस्या से अब तक निपटने में अपनी भूमिका और अपने कार्यों के प्रबंधन से किस सीमा तक संतुष्ट रहा है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:**

"गृह मंत्रालय आपदा के आने पर प्रभावी राहत और कार्रवाई के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों के निरंतर संपर्क में रहता है। आवश्यकता के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से एनडीआरएफ की तैनाती की जाती है। एनडीआरएफ ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान 6965 से अधिक सफल अभियान चलाए हैं, 135625 लोगों तथा 14258 पशुओं को बचाया है, फंसे हुए 703848 व्यक्तियों को निकाला है 5006 शव निकाले हैं। इसके अतिरिक्त, चक्रवात, बाढ़ एवं अन्य आपदाओं के दौरान एनडीआरएफ की टीमों ने व्यक्तियों के व्यापक इवैक्यूएशन तथा राहत सामग्री के वितरण और चिकित्सा सहायता में राज्य प्रशासन की मदद की है।"

3.11 आगे यह भी बताया गया कि गृह मंत्रालय समय-समय पर एनडीआरएफ की तैयारी की समीक्षा करता है। गृह मंत्रालय एनडीआरएफ की तैनाती के बारे में राज्य सरकारों के संपर्क में भी रहता है। आपदा संबंधी कार्यों को करने के लिए एनडीआरएफ की तैनाती के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एनडीआरएफ को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं।

3.12 मंत्रालय ने समिति को यह भी बताया कि केदारनाथ की घटना जिसमें क्षेत्र में भारी बाढ़ जनित आपदा हुई थी, मंत्रालय ने आठ राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) का गठन किया है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ को प्रशिक्षित करेगा और उन्हें एनडीआरएफ के स्तर पर लाएगा।

3.13 इस संदर्भ में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में आगे कहा कि राज्य आपदा मोचन बल का गठन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से एसडीआरएफ का गठन करने और उसे एनडीआरएफ के समान सुसज्जित करने के लिए नियमित रूप से अनुरोध कर रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में एनडीआरएफ को सौंपे गए संभावित कार्यों को ध्यान में रखते हुए तथा किसी आपदा के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एनडीआरएफ द्वारा एसडीआरएफ के कार्मिकों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं:-

क्र. सं.	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	स्थान
01	बेसिक डिजास्टर फर्स्ट रेस्पोंडर कोर्स	06 सप्ताह	एनडीआरएफ की सभी यूनिटें
02	एमएफ और सीसीआर में टीओटी	05 सप्ताह	07 बटालियन एनडीआरएफ

03	सीबीआरएन में टीओटी	04 सप्ताह	05 बटालियन एनडीआरएफ
04	कॉडर में टीओटी	01 सप्ताह	एनडीआरएफ अकादमी
05	एमएफ और सीएसएसआर में एमटी	01 सप्ताह	एनडीआरएफ अकादमी
06	सीबीआरएन में एमटी	02 सप्ताह	05 बटालियन एनडीआरएफ

एनडीआरएफ द्वारा अब तक प्रशिक्षित किए गए एसडीआरएफ कार्मिकों का विवरण **परिशिष्ट-क** के रूप में संलग्न है। उपर्युक्त के अतिरिक्त एनडीआरएफ राज्य प्राधिकरणों/राज्य आपदा मोचन बलों के विशेष अनुरोध पर राज्य आपदा मोचन बल के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का भी आयोजन कर रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तम प्रक्रियाओं और मानसून के लिए तैयारी संबंधी बातों को साझा करने के लिए एनडीआरएफ 2013 के बाद से प्रतिवर्ष एसडीआरएफ/होमगार्ड/सिविल डिफेंस के क्षमता निर्माण के बारे में वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है।

एनडीआरएफ के काम-काज का तरीका

3.14 **समिति ने मंत्रालय से अपनी प्रश्नावली में एनडीआरएफ के आपदा स्थल तक पहुंचने की न्यूनतम समय सीमा और एनडीआरएफ टीमों की तैनाती के लिए स्थायी प्रचालन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहा;**

मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"एनडीआरएफ की सभी बटालियनों में दो टीमें तथा सभी आरआरसी में तैनात टीमों को किसी आपदा/आपात स्थिति की सूचना प्राप्त होने के 30 मिनट के भीतर रवाना करने के लिए सभी आवश्यक उपकरणों के साथ सदैव तैयार रखा जाता है। तथापि, घटनास्थल पर पहुंचने में लगने वाला समय दूरी, भू-भाग, मौसम दशा और रास्ते में आने वाली अड़चनों सहित विभिन्न बातों पर निर्भर करता है।."

3.15 आगे यह भी बताया गया कि:

एनडीआरएफ की तैनाती के संबंध में स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) गृह मंत्रालय द्वारा 16 दिसम्बर, 2014 को अनुमोदित किया गया तथा इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। इसकी प्रति **परिशिष्ट-ग** के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनडीआरएफ के उचित और विवेकपूर्ण प्रयोग के संबंध में एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती से

संबंधित व्यापक दिशानिर्देश जनवरी, 2020 में तैयार किए गए थे। इन दिशानिर्देशों की प्रति **परिशिष्ट-घ** के रूप में संलग्न है।

3.16 **समिति के इस प्रश्न पर कि आपदा-पूर्व/आसन्न आपदा चरण के लिए राज्यों, एजेंसियों आदि के अनुरोध की जांच कैसे की जाती है और निर्णयों को अंतिम रूप कैसे दिया जाता है और आपदा स्थलों पर अपने बल, उपस्करों आदि को जुटाने के लिए एनडीआरएफ के पास उपलब्ध सुविधाओं को अंतिम रूप कैसे दिया जाता है**

3.17 **मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:**

"बाढ़, चक्रवात, सुनामी तथा अन्य ऐसी आपदा जिसमें, भविष्यवाणी या पूर्व चेतावनी उपलब्ध हो, जैसी आपदाओं के लिए एनडीआरएफ संबंधित राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से और भारत मौसम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, आईएनसीओआईएस आदि जैसी पूर्व चेतावनी एजेंसियों की भविष्यवाणी के अनुसार पहले से अपनी टीमें तैनात करता है। आसन्न आपदा से निपटने के लिए अग्रिम कार्रवाई के उपाय के रूप में पूर्व तैनाती तब की जाती है जब इस बात का पर्याप्त कारण हो कि आपदा की गंभीरता से निपटना राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों के वश में नहीं है। इसके अतिरिक्त स्थिति के आकलन पर यदि राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त टीमें मांगी जाएं तो अन्य बटालियन लोकेशन से हवाई जहाज के द्वारा भी पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैनात की जाती हैं।

सामान्यत: एनडीआरएफ की टीमें अपने स्वयं के वाहनों से आपदा स्थल पर रवाना की जाती हैं। आपदा के प्रकार, तैनाती के लिए अपेक्षित समय और आपदा स्थल की दूरी के अनुसार ट्रेन तथा भारतीय वायुसेना के विमानों से भी टीमें आपदा स्थल पर रवाना की जाती हैं।

3.18 साक्ष्य के दौरान, हिंदी में एक प्रश्न के उत्तर में अर्थात् "यदि कहीं कोई विपदा अचानक आ जाती है तो हमारी एक ऐसी वर्क फोर्स रहनी चाहिए जो समय पर इसका सामना कर सके।" मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि:

"प्रेजेंटेशन के समय हमने आपदा मित्र का उल्लेख किया था। इसके बारे में मैं विस्तृत में बताना चाहूंगा कि 18 से 40 साल के जो लोग हैं और सातवीं तक जिन्होंने पढ़ाई की है, उन्हें आपदा मित्र योजना के तहत ट्रेंड किया जा रहा है और अब तक सात हजार लोगों को ट्रेंड किया जा चुका है। इसके बाद दूसरे चरण में हमने 350 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जहां प्राकृतिक आपदा आती रहती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए हम एक लाख लोगों की फोर्स बनाएंगे। वर्ष 2023 तक का हमारा

टार्गेट है और 350 करोड़ रुपये की उपलब्धता इसके लिए कराई गई है। जिन सात हजार लोगों को ट्रेंड किया है, कोविड में भी इनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा है। जब यह फोर्स बन जाएगी, तो हम लोगों के लिए भी बहुत सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा।"

3.19 **समिति ने देश में जिला, पंचायत स्तरों पर आपदा मोचन इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी।**

3.20 **मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि:**

"आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए तथा राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में सभी उपाय करने के लिए योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकायों के रूप में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया है। सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

बाढ़, सैलाब और शहरी बाढ़ जैसी किसी आपदा के पश्चात तत्काल बेसिक राहत और बचाव कार्य करने के लिए सामुदायिक वॉलंटियर्स में कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए भारत के 25 राज्यों के 30 सर्वाधिक बाढ़ संभावित जिलों में आपदा की कार्रवाई में 6000 कम्युनिटी वॉलंटियर्स (200 वॉलंटियर्स प्रति जिला) को आपदा मित्र स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है।

आपदा मित्र स्कीम को बेहतर (अप-स्केल) किया गया है तथा इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 350 आपदा संभावित जिलों में बाढ़, चक्रवात, भू-स्खलन और भूकंप में राहत और बचाव के लिए आपदा कार्रवाई में 100000 तंदुरुस्त वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित तथा सुसज्जित और सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा रहा है। यह स्कीम 369.41 करोड़ रुपय के कुल परिव्यय से 3 वर्षों (अर्थात् 2020-21 से 2022-23) में लागू की जाएगी।"

3.21 जिन जिलों में आपदाओं की आवृत्ति अधिक है, उनके बारे में समिति के लिखित प्रश्न और ऐसे विभिन्न जिलों के लिए बनाई गई किसी विशिष्ट योजना के ब्योरे के जवाब में मंत्रालय ने बताया कि भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) में भारत की वलनरेबिलिटी एटलस तैयार की है जिसे 2019 में अपडेट किया गया है और यह (तीसरा संस्करण) www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/Index.html लिंक पर उपलब्ध है।

3.22 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 में यह निर्धारित है कि किसी राज्य का प्रत्येक जिला अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा। आपदा प्रबंधन योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, जिले के वे क्षेत्र शामिल होंगे जो विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से असुरक्षित हैं। जिलो की आपदा प्रबंधन योजना को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 732 जिलों में से 673 जिलों की अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं।

3.23 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिनको आपदा प्रबंधन योजना तैयार करते समय जिला प्राधिकारियों सहित संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट-मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के बारे में उचित समय पर जागरूकता सृजन अभियान चलाता है। इसके अतिरिक्त, जागरूकता सृजन सामग्री का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में प्रचार-प्रसार किया जाता है।

3.24 मंत्रालय ने बताया कि सभी एनडीआरएफ बटालियनों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए देश की वलनरेबिलिटी प्रोफाइल के आधार पर पूरे देश में रणनीतिक दृष्टि से तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनडीआरएफ की पूर्व-तैनाती राज्यों/जिलों की असुरक्षा विश्लेषण तथा पूर्व वर्षों के अनुभवों की तुलना में भविष्यवाणी/पूर्व चेतावनी के आधार पर भी की जाती है।

3.25 राज्य आपदा मोचन बल द्वारा जिला स्तर पर मॉक अभ्यास जिलों की असुरक्षा स्थिति के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन में तैयारी और क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य/बहु-राज्य स्तर के मॉक अभ्यासों के आयोजन में भी सहायता कर रहा है।

3.26 साक्ष्य के दौरान, समिति ने यह जानना चाहा कि एसडीआरएफ की जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार की है। एनडीआरएफ के एक प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि एसडीआरएफ राज्यों के अधीन है और एनडीआरएफ को एसडीआरएफ को अपनी सहायता प्रदान करनी है, तथापि, कई राज्यों में एसडीआरएफ नहीं है।

3.27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्वयं के बल अर्थात् एसडीआरएफ का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनके गठन और संचालन के बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की गई है। प्रचालन और उपकरणों के बारे में एसडीआरएफ के कार्मिकों को प्रशिक्षण राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से आयोजित किया जा रहा है।

क्षमता निर्माण

3.28 मंत्रालय ने समिति के लिखित प्रश्न के उत्तर में उन मानदंडों का ब्यौरा दिया जिनके तहत एनडीआरएफ द्वारा विभिन्न प्रकार की क्षमता वर्धन संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे निम्नवत् सूचित किया गया है:

"एनडीआरएफ का गठन एक ऐसे बहु-आयामी, बहु-कौशल, हाईटैक और स्टैंड एलोन बल के रूप में किया गया है जो सभी प्रकार की आपदाओं और आपदा जैसी स्थिति में प्रभावी कार्रवाई करने और आपदाओं के प्रभाव को कम करने में सक्षम हो। आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय नीति-2009 में भी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को समुदाय की क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तदनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम तथा राज्य आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन सेवाओं, एनसीसी कैडेट, गैर-सरकारी संगठनों, एनवाईकेएस, छात्रों, स्वयं सेवकों और अन्य हितधारकों के तैयारी कार्यक्रम में पूरी तरह से लगा हुआ है। इस प्रकार के क्षमता निर्माण कार्यक्रम विशेष रूप से तब आयोजित किए जाते हैं जब एनडीआरएफ आपदा कार्रवाई अथवा राहत कार्यों में व्यस्त न हो। मॉक अभ्यास, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम (सीएपी), विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी), एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के प्रशिक्षण का विवरण नीचे दिया गया है:-

कार्यक्रम	अब तक आयोजित प्रोग्राम/बैचों की संख्या	अब तक कुल लाभार्थियों की संख्या
सीएपी	7688	5637169
एसएसपी	2531	1011738
एनसीसी	-	6873
एनवाईकेएस	196	8266
मॉक एक्सरसाइज	3214	1292019

3.29 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में आगे बताया कि:

"सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम तथा समुदाय के क्षमता निर्माण के लिए अन्य प्रशिक्षण गतिविधियां एनडीआरएफ यूनिटों द्वारा, उनके जिम्मेदारी के क्षेत्र के

भीतर, संबंधित राज्यों/जिलों के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के परामर्श से आयोजित की जा रही हैं। एनडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता को जिलों की असुरक्षा की स्थिति के आधार पर आकलन किया जा रहा है। तदनुसार, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम फील्ड फॉर्मेशन के अनुभवी अधिकारियों के परामर्श से अनुदेशक बोर्ड द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से अनुमोदित किया जाता है।"

3.30 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना वर्ष 2018 में नागपुर में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय का विलय करके की गई है। वर्तमान में यह संस्थान सिविल लाइंस, नागपुर में एनसीडीसी के पूर्ववर्ती परिसर से संचालित किया जा रहा है। समिति को यह बताया गया कि अकादमी के लिए नई अवसंरचना परियोजना 125 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत से स्वीकृत की गई है। 153 एकड़ भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया है तथा इस परियोजना की आधारशिला माननीय गृह मंत्री ने 2020 में रखी थी। निर्माण कार्य शुरू हो गया है और प्रगति पर है। एनडीआरएफ अकादमी में दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा इसकी जनशक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:-

- यह संस्थान वर्तमान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एनसीसी तथा अन्य हितधारकों को आपदा मोचन में विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
- एक बार अकादमी की नई अवसंरचना के निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद इसका उद्देश्य सार्क देशों के अधिकारियों सहित एक वर्ष में लगभग 5000 कार्मिकों प्रशिक्षित करने के लिए 120 प्रशिक्षण कोर्स संचालित करना है।
- वर्ष 2018 से एनडीआरएफ अकादमी ने 3481 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है (एनडीआरएफ-1317, एसडीआरएफ-437, असम राइफल्स-34, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल-30 और सिविल डिफेंस/होमगार्ड/अग्निशमन सेवा-1663)
- एनडीआरएफ अकादमी के लिए कुल 110 पद स्वीकृत किए गए हैं तथा 109 कार्मिक तैनात हैं।

3.31 मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि वर्तमान में यह अकादमी नागरिक सुरक्षा तथा एनसीसी वॉलंटियर्स के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से विभिन्न कोर्सों का आयोजन कर रही है। चूंकि आपदा मोचन प्रशिक्षण में कौशल घटक अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑनलाइन कोर्स केवल जागरूकता सृजन के लिए जानकारी आधारित कोर्सों के लिए ही चलाए जा सकते हैं।

3.32 एनडीआरएफ की महिला इकाई के संबंध में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि इस बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से यह अनुरोध किया गया है कि वे विशेष रूप से महिला पीड़ितों के बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की नफरी के भीतर एनडीआरएफ की प्रत्येक बटालियन के लिए 108 महिला कार्मिक मुहैया कराएं। अब तक 170 महिला कार्मिक एनडीआरएफ में पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं।

3.33 साक्ष्य के दौरान समिति ने आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए अपेक्षित उपकरण के समयबद्ध प्रापण, विशेषीकृत प्रतिक्रिया के बारे में पूछा सरकार के प्रतिनिधि ने निम्नवत् सूचित किया:

"सर, आपने जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात की है, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आपदा मित्र में हम लोगों ने यही इनिशिएटिव लिया है। 350 डिस्ट्रिक्ट्स अभी आइडेंटिफाई हुए हैं और इनमें 18 से 40 साल के लोग, जो सातवीं पास हैं, उनको विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको किट भी दी जाती है ताकि आपदा के समय उसका उपयोग वे कर सकें। हमने लगभग सात हजार लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी है। हमारा अब तक का यह अनुभव रहा है कि उन लोगों ने आपदा से लड़ाई में काफी योगदान दिया है। 350 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और एक लाख लोगों की फोर्स इन 350 डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिएट होगी। इसलिए ऐसी आपदाओं से निपटने में बड़ा योगदान होगा।

सर, आपने यह बात कही कि किसी भी सर्विसेज की रिक्विजिशन करने के लिए पावर होनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में यह प्रावधान पहले से ही है।"

3.34 एनडीआरएफ के प्रतिनिधि ने आगे कहा:

"मैं आपसे सहमत हूं कि इसे व्यावहारिक प्रक्षेत्र में लिया जाना चाहिए, और वास्तव में, वास्तविक समय अनुरूपता होनी चाहिए। यहां तक कि शायद वास्तविक समय की स्थितियों में हो, जहां एक चक्रवात अभी आया है, जहां वे देख सकें, उन्हें वह करना चाहिए जो वे कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में, एनसीसी एनडीआरएफ की क्षमता निर्माण गतिविधियों के मिश्रण का हिस्सा नहीं था। इसे बहुत मजबूत प्रोत्साहन दिया गया है। पिछली बार लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने वास्तव में कहा था कि एनसीसी, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में आना चाहिए

और आपदा प्रतिक्रिया और ऐसी अन्य चीजों में मदद करनी चाहिए। इसलिए, तब से, एनसीसी निदेशालय ने हमसे संपर्क किया है और हम काम पर हैं। मुझे यकीन है, हम उन विचारों में से कुछ को लागू करने में सक्षम होंगे जो आपने पहले से ही व्यावहारिक आधारित प्रशिक्षण के लिए दिए हैं और वास्तव में शायद तत्स्थानिक एक्सपोजर भी हो सकता है। हमने ऐसा किया है, और मैं मानता हूं कि हमारे पास इसे कार्यान्वित करने का अनुभव है। हो सकता है कि जैसे-जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हम सीखते जाएंगे।

जहां तक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का संबंध है, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा विचार है। हम इस पर विचार कर रहे थे लेकिन हमने अभी तक मॉड्यूल तैयार नहीं किया है। हमारे पास 'आपदा मित्र' के लिए एक मानकीकृत मॉड्यूल है। हमने एनडीएमए के लिए उस मॉड्यूल को मांग के आधार पर बनाया है। मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। पहले के अध्यक्ष ने एक सवाल उठाया था कि क्या नागरिकों के लिए एक मानकीकृत मॉड्यूल हो सकता है हमने इस तरह के मानकीकृत मॉड्यूल बनाए हैं, और मुझे यकीन है कि, उन मॉड्यूल को कई भाषाओं में अनूदित किया जा सकता है और कार्यान्वित किया जा सकता है। हमने इस विचार को राज्य सरकारों को बताने का प्रयास किया है क्योंकि यह राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है और मुझे विश्वास है कि कुछ राज्य सरकारों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। अत, मैं आशा करता हूं कि ऐसा भी होगा।

जहां तक विशेष प्रचालनों और मांग का संबंध है, सचिव ने स्पष्ट किया है कि मांग की जा सकती है। उस बिंदु के पूरक में, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि माननीय गृह मंत्री जी ने, जब वह पिछली बार समीक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसे सभी उपकरणों का डाटाबेस होना चाहिए जो मौजूद हैं। भले ही यह निजी क्षेत्र, किसी जिले में एक कंपनी के पास हो, उनके पास पे लोडर है, उनके पास एक जेसीबी है।

वह सारा डेटा आपके पास होना चाहिए ताकि आप इसकी मांग कर सकें। वास्तव में, उन्होंने गुजरात के किसी स्थान का उदाहरण लिया है जहां उन्होंने कहा कि उनके पास तो 6 बोट्स भी हैं, आप उनकी बोट्स भी ले सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसको अब कार्यान्वित किया गया है। एक डाटा बेस, अर्थात् भारतीय आपदा मोचन नेटवर्क (आईडीआरएन) तैयार किया जा रहा है। हम भी इसमें मदद कर रहे

हैं। हमारे पास पूरी ग्रिड तस्वीर होगी कि किसके साथ कौन से उपकरण हैं, भले ही यह एक निजी इकाई हो, ताकि हम आवश्यकता पड़ने पर इसकी मांग कर सकें।"

3.35 एनडीआरएफ द्वारा सामुदायिक प्रशिक्षण, एनसीसी कैडेटों और अन्य बलों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु कदम उठाए जाने के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई:

3.36 एनडीआरएफ राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, छात्रों, स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेटों, गैर-सरकारी संगठनों, एनवाईकेएस और अन्य हितधारकों के सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन जागरूकता और तैयारी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल है। इसके अलावा, एनडीआरएफ द्वारा भारतीय रेलवे, मेट्रो, प्रमुख दुर्घटना खतरों (एमएएच) इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ मॉक अभ्यास आयोजित किया जाता है।

मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में यह भी कहा कि एनडीआरएफ संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त मांगों के आधार पर एनसीसी कैडेटों और सीएपीएफ के लिए विभिन्न आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। अब तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

कार्यक्रम	अब तक आयोजित कार्यक्रमों/ बैचों की संख्या	अब तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की कुल संख्या
एनसीसी प्रशिक्षण	14 (03 दिवसीय प्रशिक्षण)	2932
सीएपीएफ	15	1197

3.37 साक्ष्य के दौरान समिति ने विभिन्न राज्यों में हाथियों के हमले, डूबने की घटनाओं, जंगलों में आग लगने के बढ़ते मामलों पर ध्यान आकृष्ट किया और पूछा कि क्या एनडीआरएफ द्वारा किए जाने वाले आपदा कार्यों में उन्हें शामिल करने का कोई प्रस्ताव है।

3.38 समिति के समक्ष अपनी बात रखते हुए मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि:

"एनिमल रेस्क्यू के बारे में प्रेजेंटेशन में बताया है। हमारा मोटो सेविंग्स लाइफ एंड बियॉड है। हम यह फर्क नहीं करते हैं कि ह्यूमन लाइफ है या एनिमल लाइफ है। यदि कोई एनिमल भी किसी जगह फंसा है, तो हम उसका बचाव करते हैं। जहां तक हाथियों की सुरक्षा का सवाल है, वह फारेस्ट विभाग के तहत आता है। मैं

बताना चाहता हूं कि पूरे देश में हम फॉरेस्ट विभाग के साथ आग के विषय में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। फारेस्ट गाईस की ट्रेनिंग के विषय पर भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। यदि इस तरह की कोई बात सामने आएगी, तो हम जरूर इसमें काम करने को सक्षम होंगे।

जहां तक आपने टूरिज्म और फॉल्स के बारे में कहा है, मुझे मालूम है कि वहां पिकनिक के समय लोगों के डूबने की काफी घटनाएं होती हैं। आपको मालूम होगा कि एक महीने पहले ही एक गडरिया अपनी भेड़-बकरियों के साथ पानी के बीचों-बीच ट्रैप हो गया था। उनका रेस्क्यू एनडीआरएफ ने किया था।

वहां के डैम में कोई ट्रैप हो गया था, उसको भी रेस्क्यू किया गया। खूंटी में इसी प्रकार से एक गरीब आदमी फंस गया था, उसको भी रेस्क्यू किया गया। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो कि आपकी बातों से निकलकर आती है कि सिमडेगा, डीसी ने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि हमारे यहां कुछ लोगों को ट्रेन्ड कर दिया जाए, ताकि वे ऐसे समय में काम आ सकें। हम लोगों ने सिमडेगा में वह ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। देवगढ़ में आप जानते हैं कि सावन के दौरान काफी भीड़ रहती है तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। अत: ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब- जब इस तरह की रिक्विजिशन्स आएंगी तो हम लोग आगे भी ट्रेनिंग देते रहेंगे।"

3.39 एनडीआरएफ द्वारा किए जाने वाले आपदा कार्यों की सूची में जंगल में लगने वाली आग को शामिल करने के संबंध में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि यह मामला संबंधित हितधारकों के परामर्श के अधीन है।

<u>एनडीआरएफ को प्राधिकृत आपदा मोचन उपकरण की समीक्षा और उन्नयन</u>

3.40 प्रचालन कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से एनडीआरएफ के लिए कुछ अतिरिक्त उपकरण (कटिंग टूल्स) मंजूर किए गए हैं तथा गहरे पानी में गोताखोरी के उपकरणों की मंजूरी (ऑथराइजेशन) को भी संशोधित किया गया है। एनडीआरएफ की लोकेशन से आपदा स्थल तक एनडीआरएफ की टीमों की तुरंत रवानगी करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में एनडीआरएफ की एक मानक बटालियन में वाहनों की मंजूरी को भी प्रति बटालियन 80 वाहनों से बढ़ाकर 104 वाहन कर दिया गया।

3.41 विभिन्न आपदा मोचन उपकरणों की प्राधिकृत और विद्यमान संख्या के ब्यौरे, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों की उपयोगिता और अनुकूलता की समीक्षा करने के लिए एनडीआरएफ की नीति तथा प्रस्ताव को अनुमति दिए जाने एवं उन्हें एनडीएमए से वापस प्राप्त करने के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के तहत प्राधिकृत और विद्यमान उपकरणों की एक सूची प्रदान की जिसे **परिशिष्ट 'ड.'** के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीआरएफ के पास उपलब्ध विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों की उपयोगिता और अनुकूलता की समीक्षा समय-समय पर की जा रही हे। ऐसे गैजेट का उपयोग विभिन्न स्तरों पर उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात आपदा के दौरान किया जाता है। इन गैजेटों का की नियमित जांच भी अधिकारियों द्वारा की जाती है ताकि प्रचालन आवश्यकता के अनुसार उनकी कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सके।

यह प्रस्ताव एनडीआरएफ से प्राप्त हो गया है। एनडीआरएफ के उपकरणों, अवसंरचना विकास आदि से संबंधित सभी प्रस्तावों में तेजी लाने और अंतिम रूप प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय, एनडीएमए और एनडीआरएफ मिलकर कार्य कर रहे हैं।

3.42 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की मैपिंग करने, और देश के उन जिलों की संख्या जहां आज तक की तिथि के अनुसार अद्यतन मैंपिंग आंकड़ा उपलब्ध है, के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने कहा है कि इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (आईडीआरएन) एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल (https://idrn.nidm.gov.in) है जो लगभग सभी बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में आपदा प्रबंधन संबंधी रिसोर्सेज की राष्ट्रव्यापी इन्वेंटरी मुहैया कराता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान डाटा और पोर्टल के रख-रखाव और मॉनीटरिंग के लिए जिम्मेदार है। यह उपकरणों की इन्वेंटरी, कुशल मानव संसाधन तथा आपात कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण आपूर्तियों के संबंध में एक वेब आधारित प्लेटफार्म है। इस आईडीआरएन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य निर्णयकर्ताओं को किसी आपात स्थिति में कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता के बारे में अद्यतन डाटा बेस उपलब्ध कराना है।

इस आईडीआरएन पोर्टल में विभिन्न आकस्मिकताओं और आपात स्थितियों के आधार पर 36 श्रेणियों में विभाजित कुल 365 मदें अद्यतन के लिए उपलब्ध हैं। आईडीआरएन पोर्टल पर 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 740 जिलों को पंजीकृत किया गया है। प्राधिकृत सरकारी अधिकारी इस पोर्टल को देख सकते हैं तथा जिला प्राधिकारी अपने-अपने जिलों के विभिन्न संबंधित विभागों से आंकड़े प्राप्त करने के पश्चात इन्हें अपलोड और अद्यतन करने के लिए प्राधिकृत हैं। 20 जुलाई, 2020 से 20 जून, 2021 तक अद्यतन किए गए आंकड़ों की कुल संख्या 1,40,167 है।

एनडीआरएफ को प्राधिकृत संचार उपकरणों की समीक्षा और उन्नयन

3.43 समिति ने आगे उस वर्ष के बारे में जानने की इच्छा जतायी जिसमें एनडीआरएफ के लिए प्राधिकृत संचार उपकरण की कार्यक्षमता की अंतिम बार समीक्षा की गयी थी और डीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा एनडीआरएफ के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए क्या नीति/प्रक्रिया अपनायी जा रही है तथा लंबित प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाएगा।

3.44 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् कहा:

> "संचार उपकरणों सहित एनडीआरएफ के उपकरणों की समय-समय पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परामर्श से समीक्षा की जाती है।
>
> राष्ट्रीय आपात संचार योजना (एनईसीपी) के चरण-दो के अंतर्गत एनडीआरएफ बटालियनों के संचार उपकरणों की समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी और तदनुसार, 31 मई, 2011 से पांच वर्ष की अवधि तक, जिसे बढ़ाकर बाद में 31 मार्च, 2018 कर दिया गया, अपने मुख्यालयों के साथ फील्ड यूनिटों के बीच संचार की अचूक व्यवस्था के लिए अपेक्षित उपकरण प्रदान किए गए थे। एनईसीपी चरण-दो का 31 मार्च, 2020 तक और विस्तार कर दिया गया है।
>
> गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परामर्श से एनडीआरएफ के प्रस्तावों को तुरंत अंतिम रूप प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाह प्राप्त होने के बाद एनडीआरएफ के संचार उपकरणों की समीक्षा करने संबंधी मौजूदा प्रस्ताव वित्तीय अनुमोदन के लिए भेजा गया है।"

टिप्पणियाँ और सिफारिशें

1. प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का भारत में अपना दु:खद इतिहास रहा है। पिछले कुछ दशकों में चिंताजनक जलवायु परिवर्तन के साथ, देश ने बिहार, कश्मीर और उत्तराखंड जैसे विभिन्न राज्यों और मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में बाढ़ जैसी कई आपदाएं और हिंद महासागर सुनामी, गुजरात भूकंप, ओडिशा सुपर साइक्लोन आदि आपदाएं देखी हैं। अत:, एनडीआरएफ जैसे समर्पित बल की आवश्यकता महसूस की गई और इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा इसे उठाया गया है। समिति ने वर्ष 2006 में अपनी स्थापना के बाद से देश में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की उपलब्धियों पर ध्यान दिया है। इसने, काफी प्रशंसनीय रूप से, पेशेवर विशेषज्ञता और अपेक्षित समर्पण के साथ अपने संचालन के दौरान न केवल असंख्य मानव जीवन को बचाया और विपत्ति से निकाला है, बल्कि पशुधन को भी बचाया है। समिति को यह बताया गया है कि एनडीआरएफ की स्थापना के समय सरकार के समक्ष अनेक चुनौतियां थीं और इसलिए एनडीआरएफ को 100% प्रतिनियुक्तिवादी बल के रूप में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) से 7 वर्ष के लिए कार्मिकों को लेकर बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसका उद्देश्य इसे एक युवा बल के रूप में बनाए रखना था। इसके अलावा, शारीरिक सतर्कता के चरम पर होने के नाते, युवा बल प्रकृति में गतिशील होता है क्योंकि इस आयु में

अधिकांश कौशल प्राप्त किए जाते हैं और नई चुनौतियों से परिचय होता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि यद्यपि 100% प्रतिनियुक्तिवादी बल की अवधारणा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त है, तथापि एनडीआरएफ में प्रचालनात्मक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अन्य संगठनों के उपयुक्त रूप से स्वस्थ और प्रशिक्षित युवाओं की भागीदारी को भी शामिल करने के लिए इसकी समीक्षा की जाए। यथानिर्धारित 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को जारी रखा जाए। चूंकि भारत दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, इसलिए इससे देश में युवाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों की उपलब्धता में भी मदद मिलेगी।

2. समिति को यह जानकर खुशी हो रही है कि एनडीआरएफ के माध्यम से सरकार ने एक बहु-विषयक, बहु-कुशल, उच्च-तकनीकी, स्टैंड-अलोन बल का गठन किया है जो सभी प्रकार की आपदाओं और आपदा जैसी स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और आपदाओं के प्रभावों को कम करने में सक्षम है। इस संबंध में, समिति नोट करती है कि आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति-2009 में समुदाय के क्षमता निर्माण के लिए एनडीआरएफ को भी अधिदेशित किया गया है। यह बल राज्य पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं, एनसीसी कैडेटों, गैर सरकारी संगठनों, एनवाईकेएस, छात्रों, स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के सामुदायिक क्षमता निर्माण और जन जागरूकता और तैयारी कार्यक्रम में लगातार लगा हुआ है। ऐसे

क्षमता निर्माण कार्यक्रम तब आयोजित किए जाते हैं जब एनडीआरएफ आपदा प्रतिक्रिया या राहत कार्यों में संलग्न नहीं होता है। बीएमटीपीसी द्वारा तैयार की गई सुभेद्यता एटलस के अनुसार जिलों की सुभेद्यता प्रोफाइल के आधार पर एनडीआरएफ इकाइयों द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर कार्य किया जा रहा है/प्राथमिकता दी जा रही है। तदनुसार, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुदेशक बोर्ड द्वारा फील्ड संरचनाओं के अनुभवी अधिकारियों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है।

समिति ने यह भी नोट किया कि एनडीआरएफ कर्मियों और अन्य हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने 27 सितंबर, 2018 को राष्ट्रीय सिविल डिफेंस कॉलेज, नागपुर के साथ विलय करके एनडीआरएफ अकादमी के निर्माण को मंजूरी दी थी। वर्तमान में यह अकादमी नागपुर के सिविल लाइंस स्थित पूर्ववर्ती एनसीडीसी परिसर में चलाई जा रही है। अकादमी के लिए नई बुनियादी ढांचा परियोजना को कथित तौर पर 125 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर मंजूरी दी गई है, 153 एकड़ भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया है और 2020 में परियोजना की आधारशिला रखी गई। अब निर्माण कार्य प्रगति पर है। समिति को आशा है कि एक पूर्ण निर्माण अनुसूची, निधियों के आबंटन और उपयोग के ब्योरे और नई अकादमी निर्माण परियोजना के पूरा होने की तारीख नियत कर ली गई है और यह इच्छा व्यक्त की

गई है कि यह उन्हें प्रदान की जाए। वे यह भी चाहते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि परियोजना निर्धारित समय में और लागत अनुसूची के भीतर पूरी हो जाए। समिति अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराने की इच्छा रखती है।

3. समिति नोट करती है कि एनडीआरएफ पिछले तीन वर्षों में उन्हें सरकारी वित्तीय सहायता से काफी हद तक संतुष्ट है, जो कि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 1101.41 करोड़ रुपये, 1140.74 करोड़ रुपये और 1281.44 करोड़ रुपये रही है, जिसमें से ओबी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड बहुत जरूरी है। प्रत्येक बटालियन के लिए एक पर्याप्त बुनियादी ढांचा अनिवार्य है और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अपने साक्ष्य के दौरान समिति को आश्वासन दिया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बुनियादी ढांचे का 80-90 प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा और शेष अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, 2016-17 से बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि बीई और आरई में पूंजीगत बजट प्रावधान राजस्व बजट अनुमानों और अतीत में वास्तविक व्यय के 50% से कम है। समिति ने इस तथ्य पर भी गौर किया है कि पिछले कुछ वर्षों में पूंजी क्षेत्र में वास्तविक व्यय में काफी हद तक गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जिससे एनडीआरएफ बटालियनों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना में बाधा आ सकती है।

इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय यह स्पष्ट करे कि पूंजीगत संपत्ति के लिए आवंटित धन में कमी के साथ एनडीआरएफ बटालियनों के लिए सभी बुनियादी ढांचे के काम को कैसे पूरा करने की उनकी योजना है। वे अनुशंसा करते हैं कि वित्त मंत्रालय के परामर्श से पूंजी क्षेत्र में निधि में कमी/चूक को दूर करने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाएं, ऐसा न हो कि परियोजना के पूरा होने की लक्ष्य तिथियों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता हो, जिससे लागत में वृद्धि होगी और साथ ही साथ एनडीआरएफ बटालियनों की क्षमता में वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

4. समिति ने आगे देखा कि हालांकि सरकार पर्याप्त धन आवंटित कर रही है, बजट अनुमानों और 2016-17 से वास्तविक व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए बजट प्रावधान काफी कम रहा है, अर्थात 1 से 2 करोड़ रुपये और यहां तक कि इसका उपयोग भी 100% नहीं हुआ है, क्योंकि यह मुख्य रूप से 50% से 80% के दायरे में रहा है। समिति का विचार है कि एनडीआरएफ कर्मियों के अत्याधुनिक प्रशिक्षण के लिए और एसडीआरएफ कर्मियों को एनडीआरएफ द्वारा निःशुल्क बुनियादी, अग्रिम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। चूंकि आपदाएं किसी भी समय हो सकती हैं, इसलिए पूरे वर्ष एनडीआरएफ/एसडीआरएफ कर्मियों की फिटनेस और तैयारी सुनिश्चित

करने के लिए एक नियमित तंत्र विकसित किया जाए। यह प्रशिक्षण के लिए उन्नत बीई के साथ-साथ उसी के 100% उपयोग की मांग करता है। इस प्रकार, ओएई और एफटीई जैसे लेखा शीर्षों के तहत बजट प्रावधान की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान कम आवंटन और इसका उपयोग दिखाया है। इसका समाधन करने के लिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि कम उपयोग के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान की जाए और उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय आगे एनडीआरएफ कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अग्रिम योजना तैयार करे और अनुपूरक अनुदान/अगले वर्ष के बीई चरण में वित्त मंत्रालय के समक्ष बेहतर बजटीय आवश्यकताओं को प्रस्तुत करे।

5. समिति नोट करती है कि 1272.26 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से 11 बटालियन, 10 टीम स्थानों और एनडीआरएफ अकादमी में बुनियादी ढांचे के विकास को मंजूरी दी गई है। हालाँकि, स्थानीय निकायों द्वारा भूमि आवंटन/ अधिग्रहण और निकासी प्रक्रियाओं में लगने वाले समय, अन्य स्थानीय मुद्दों, कोविड -19 महामारी प्रभाव और राज्य सरकार द्वारा भूमि परिवर्तन के कारण असम और कृष्णा में बटालियनों के मामले में कई कारणों से बुनियादी ढांचे के विकास में कथित तौर पर देरी हुई है। बहरहाल, अब छह बीएन स्थानों पर

बुनियादी ढांचा अर्थात कोलकाता, मुंडाली, अरक्कोनम, पुणे, वडोदरा और कृष्णा और सिलीगुड़ी, कोलकाता, द्वारका, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु और बालासोर में छह टीम स्थानों को पूरा कर लिया गया है। अन्य बटालियन लुधियाना, गाजियाबाद और पटना में और देहरादून, किशनगढ़ और सुपौल में टीम के स्थान कथित तौर पर पूरा होने के करीब हैं और 2021-22 तक पूरा हो जाएगा। समिति को उम्मीद है कि देरी के कारण कोई बड़ी लागत वृद्धि नहीं हुई है और वह कार्रवाई के चरण में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति से अवगत होना चाहेगी। वह आगे चाहती है कि पूरी की गई सुविधाओं का बटालियनों द्वारा अधिकतम उपयोग किया जाए।

हालांकि, कुछ मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। गुवाहाटी में एक मामले में, समिति को सूचित किया गया था कि 1 बटालियन के लिए आवंटित भूमि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यदि राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक भूमि प्रदान की जाती है, तो काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। समिति यह जानकर हैरान है कि मंत्रालय ने मार्च 2024 तक काम पूरा करने के लिए कैसे प्रतिबद्ध किया है, जबकि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी तरह, गांधीनगर 06 बटालियन में आरआरसी/टीम स्थान के लिए, जबकि इसके लिए एक पीएसयू के चयन के लिए अनुमोदन एमएचए के पास लंबित है, पूरा करने की तिथि 31.03.2023 के

लिए पहले ही तय की जा चुकी है। इसलिए समिति इन दोनों परियोजनाओं की स्थिति जानने की इच्छा रखती है, और उनके पूरा न होने की स्थिति में, सुझाव देती है कि उपरोक्त बटालियनों के बुनियादी ढांचे के काम को पूरा करने की तारीख को अंतिम रूप देने से पहले, एनडीआरएफ मामले को असम सरकार और एमएचए के समक्ष पहले जल्द समाधान के लिए उच्चतम स्तर पर उठाए और फिर उन्हें पूरा करने के लिए किसी वास्तविक तारीख को अंतिम रूप दें। इन प्रयासों के परिणाम से की गई कार्रवाई के स्तर पर अवगत कराया जाए।

10 शहरों में आरआरसी/टीम स्थानों के संबंध में, समिति को 31.3.2022 तक 7 स्थानों पर पूरा होने की संभावना के बारे में सूचित किया गया था। समिति इसकी प्रगति से भी अवगत होना चाहती है।

6. समिति इस बात की सराहना करती है कि सरकार एनडीआरएफ की स्थापना के बाद से समय-समय पर इसकी क्षमता का आकलन कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप बल की क्षमता 2006 में 8 बटालियन से बढ़कर 2010 में 10 बटालियन और 2015 में 12 बटालियन हो गई है। हालांकि, जैसा कि यह महसूस किया गया था कि ताकत को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने एनडीआरएफ की 4 नई बटालियन जुटाने और किसी भी आपदा की स्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धता

को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें सभी परिचालन और प्रशासनिक शक्ति महानिदेशक, एनडीआरएफ में निहित है।

समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि नई बटालियनों में से 1 बटालियन जुटाने की प्रक्रिया संबंधी कार्य बीएसएफ से शुरू हो गया था, लेकिन इसके लिए चुने गए 139 कर्मियों में से केवल 103 ही शामिल हो सके और बीएसएफ में जनशक्ति की भारी कमी के कारण, मार्च, 2022 के बाद 36 कर्मियों को शामिल किया जाएगा। इस संबंध में, समिति नोट करती है कि एनडीआरएफ की कुल 16 बटालियनों में से एनडीआरएफ के केवल 3 बटालियनों को बीएसएफ से लिया गया है। समिति महसूस करती है कि सभी बलों में से, शायद, बीएसएफ ही एकमात्र बल है जो एनडीआरएफ को जनशक्ति प्रदान करने में कठिनाई का सामना करता है, इस तथ्य के बावजूद कि 2006 से, सरकार ने विभिन्न सीएपीएफ में 171 नई बटालियनों को मंजूरी दी है, जिसमें बीएसएफ में काफी संख्या में 35 बटालियन शामिल हैं। हालांकि, अगर ये नई बटालियनें अभी मौजूद हैं, तो समिति को आश्चर्य होता है कि बीएसएफ ने एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए 36 व्यक्तियों की भारी कमी व्यक्त की है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि गृह मंत्रालय बीएसएफ द्वारा एनडीआरएफ को अपेक्षित कर्मी उपलब्ध नहीं कराए के कारणों पर गौर करे और देश में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न

हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति की उपलब्धता के लिए एनडीआरएफ कर्मियों की आवश्यकता के नियमित/आवधिक मूल्यांकन के लिए एक तंत्र सुनिश्चित करे।

7. समिति ने नोट किया है कि जहां बाढ़, चक्रवात, सुनामी आदि का पूर्वानुमान/पूर्व चेतावनी उपलब्ध होती है, वहां एनडीआरएफ संबंधित राज्य के परामर्श से अपनी टीमों को तैनात करता है। पहले से ही तैनाती आसन्न आपदा से निपटने के लिए पूर्व-सक्रिय प्रतिक्रिया के उपाय के रूप में की जाती है। स्थिति के आकलन के बाद, यदि स्थिति राज्य, संघ राज्य क्षेत्र संभावित रूप से संभाल नहीं पा रहे हैं और यदि राज्य को अतिरिक्त टीमों की आवश्यकता होती है, तो अन्य बटालियन स्थानों से एयरलिफ्ट करके भी पर्याप्त अतिरिक्त एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया जाता है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार एनडीआरएफ की तैनाती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई राशि नहीं लेती है। भारतीय वायु सेना और भारतीय रेल ने कथित तौर पर आपदाओं के लिए बल जुटाने में एनडीआरएफ की सहायता की है। समिति इस बात की सराहना करती है कि एनडीआरएफ को बल जुटाने के लिए भारतीय वायु सेना और भारतीय रेल का समर्थन मिल रहा है और आशा है कि एनडीआरएफ वायु सेना, रेलवे और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और संचार सुनिश्चित करने के लिए एसओपी स्थापित किया गया है। उन्होंने यह भी नोट किया कि अप्रत्याशित आपदाओं के लिए, एनडीआरएफ द्वारा मॉक ड्रिल, तेज आवाजाही के लिए वाहनों की संख्या में वृद्धि, संचार उपकरणों की समीक्षा, विशेष अनुरोध पर एसडीआरएफ कार्मिकों का प्रशिक्षण आदि कार्य किए गए हैं। समिति को उम्मीद है कि तैयारी जारी रहेगी क्योंकि यह आपदा का प्रबंधन करने तथा जान और माल के नुकसान को कम करने के लिए सबसे अच्छा कदम है।

8. समिति ने नोट किया है कि आपात स्थिति/आपदा से निपटने के लिए, सरकार ने 'आपदा मित्र योजना' शुरू की है। योजना के पहले चरण में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और तब से 7000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दूसरे चरण में, 350 आपदा प्रवण जिलों की पहचान की गई है और ऐसे प्रत्येक जिले के लिए, सरकार ने 2020-2023 की तीन वर्ष की अवधि में 369.41 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 1 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपदाओं से निपटने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में देश में ये पहल शुरू की गई हैं। तथापि, समिति का विचार है कि जबकि सरकार मॉक ड्रिल आयोजित कर रही है, उन्हें जापान, इज़राइल आदि जैसे देशों में अपनाए जा रहे प्रचलन के अनुरूप बड़ी संख्या में युवाओं को तैयार करने के लिए विद्यालय/महाविद्यालय स्तरों पर उचित आपदा निकासी प्रशिक्षण भी शामिल करना चाहिए। सरकार को प्रशिक्षित युवाओं को उनके प्रशिक्षण के स्तर अर्थात स्तर 1, स्तर 2, आदि के अनुसार प्रमाण-पत्र/पुरस्कार देने पर भी विचार करना चाहिए। समिति ने यह भी नोट किया है कि आपदा मित्र योजना को 3 वर्षों में 369.41 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाना है, जिसे इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। अत:, वे आशा करते हैं कि सरकार परिव्यय का उपयोग निर्धारित समय-सीमा में करेगी और लक्ष्य को पूरा करेगी।

9. समिति ने नोट किया है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए आयोजना, समन्वय और कार्यान्वयन और जिलों में सभी उपाय करने के लिए निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। सभी जिलों में डीडीएमए का गठन किया गया है। समिति ने आगे नोट किया कि अब तक 25 राज्यों के

30 सबसे अधिक बाढ़ प्रवण जिलों में 7000 सामुदायिक वॉलंटियरों को 'आपदा मित्र योजना' के तहत प्रशिक्षित किया गया है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख करने का इरादा है और यह महसूस किया गया है कि पहाड़ी जिलों में अन्य आपदा प्रवण क्षेत्रों को भी कवर करने के लिए इस तरह के प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है जहां भूस्खलन, बादल फटने की घटनाओं, भूकंप आदि में तेजी आ रही है। समिति ने यह भी नोट किया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 में यह अधिदेश दिया गया है कि किसी राज्य का प्रत्येक जिला अपनी आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार करेगा। इसमें जिले के विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं और किसी जिले का डीएमपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाना है। अब तक देश के 732 जिलों में से 673 जिलों ने अपना डीएमपी तैयार किया है। एनडीएमए द्वारा विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उनके डीएमपी तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना है। समिति की इच्छा है कि शेष 59 जिलों के डीएमपी को भी समयबद्ध तरीके से तैयार करने और शीघ्र तात्कालिक रूप से अनुमोदित करने की आवश्यकता है। उन्हें इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि एनडीएमए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपदाओं के बारे में जागरूकता ला रहा है। तथापि, समिति का विचार है कि आपदा शिक्षा में राज्यों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए जिले में रहने वाले सेवानिवृत्त सीएपीएफ कार्मिकों, उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित वरिष्ठ एनसीसी कैडेटों, की सहायता से देश के आपदा प्रवण जिलों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित किए जा सकते हैं और शिविर लगाए जा सकते हैं ताकि प्रशिक्षित नागरिक किसी भी आपदा के समय प्रथम राहतकर्मियों के रूप में कार्य कर सकें। समिति का यह भी मत है कि बीएसएफ और एसएसबी को किसी आपदा के दौरान जरूरत महसूस

होने पर एनडीआरएफ/एसडीआरएफ को भी सहायता/सहायता प्रदान करनी चाहिए। समिति चाहती है कि मंत्रालय इन उपायों पर विचार करे और उन्हें इस पर की गई कार्रवाई से अवगत कराए।

10. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का आदर्श वाक्य "सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड" है। वे इसमें अंतर नहीं करते हैं कि मानव जीवन है या पशु जीवन। अगर किसी जगह कोई जानवर भी फंस जाता है तो वे उसे बचाते हैं। जंगल की आग के दौरान जंगली जानवरों का बचाव इससे जुड़ा एक मुद्दा है। इस संबंध में समिति ने नोट किया है कि एनडीआरएफ जंगल की आग से निपटने के लिए वन विभाग के साथ काम कर रहा है। तथापि, जहां तक एनडीआरएफ द्वारा संभाले जाने वाली आपदाओं की सूची में जंगल की आग को शामिल करने का संबंध है, कथित तौर पर इस मामले पर संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। जंगल की आग अब विश्व स्तर पर बढ़ता हुआ खतरा है। वनों में आग लगने की घटनाएं न केवल वन संसाधनों को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाती हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं, जनजातीय आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और वनों की वनस्पतियों और जीवों के लिए गंभीर संकट का कारण बनती हैं। देश में हाल के दिनों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए समिति का मानना है कि एनडीआरएफ द्वारा संभाले जाने वाली आपदाओं की सूची में जंगल की आग को शामिल करने का निर्णय जल्द से जल्द लिए जाने की आवश्यकता है। जंगल में आग लगने की बड़ी घटनाओं से निपटने के लिए वन विभाग की सीमित क्षमता के कारण, यह उपयुक्त समय है कि आपदाओं से निपटने वाले उच्च प्रशिक्षित बल द्वारा इसको संभाला जाए। समिति को इस मामले में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

11. आपदाओं के दौरान तत्काल कार्रवाई करने के लिए सीएपीएफ के क्षेत्रीय अनुक्रिया केन्द्रों (आरआरसी) का सृजन देश में खतरे वाले स्थानों के आधार पर किया गया था और उसके बाद इनमें से अधिकांश आरआरसी एनडीआरएफ को सौंप दिए गए थे। आमतौर पर, आरआरसी के लिए 10,000 वर्ग फुट (लगभग) निर्मित क्षेत्र या 05 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 28 आरआरसी हैं। केवल 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् गोवा, मेघालय, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में कोई एनडीआरएफ बटालियन/आरआरसी नहीं है। तथापि, इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निकटवर्ती एनडीआरएफ बटालियन/आरआरसी स्थान द्वारा कवर किए जाने की बात कही गई है। समिति का मत है कि आपदाओं की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुक्रिया केन्द्र के सृजन पर विचार कर सकती है, क्योंकि इनमें से अधिकांश तटीय क्षेत्र हैं और इस प्रकार सुनामी, तेल रिसाव आदि जैसी आपदाओं से ग्रस्त होने कि संभावना है। इस संबंध में, समिति महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहती है, जो अभी भी आपदा संभावित है, उसे संभालने मे पूरी तरह से तैयार होने के लिए छोटे हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता है। समिति का यह भी दृढ़ मत है कि कोई भी राज्य आपदाओं से सुरक्षित नहीं है इसलिए सभी राज्यों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपने एसडीआरएफ को शीघ्रता से सुविधाएं प्रदान करें। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

12. समिति ने नोट किया कि राष्ट्रीय आपातकालीन संचार योजना चरण-II के तहत, एनडीआरएफ बटालियनों के संचार उपकरण की समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी और तदनुसार, 31 मई, 2011 से 5 वर्ष की अवधि के लिए फील्ड

इकाइयों के साथ उनके मुख्यालय के साथ (असफल न होने वाला) फ़ेल-सेफ संचार सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपकरण प्रदान किए गए थे और इसे पहली बार 31 मार्च, 2018 और आगे 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। समिति का मानना है कि एनडीआरएफ के संचार उपकरणों की समीक्षा के लिए प्रचलित प्रथा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर जब संचार प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसलिए, वे चाहते हैं कि संचार उपकरणों की समीक्षा अब कम अवधि में की जा सकती है। समिति ने यह भी नोट किया है कि एनडीएमए की सलाह प्राप्त करने के बाद एनडीआरएफ के संचार उपकरणों की समीक्षा करने का प्रस्ताव पहले ही वित्तीय सहमति के लिए भेजा जा चुका है। इसलिए समिति चाहती है कि सरकार इस प्रस्ताव पर आगे बढ़े और बिना किसी देरी के शीघ्रता से वित्तीय सहमति प्राप्त करे।

13. समिति ने नोट किया है कि विशेष रूप से, पीड़ित महिलाओं के लिए बचाव और राहत कार्यों के लिए सभी सीएपीएफ से अनुरोध किया गया है कि वे एनडीआरएफ के कार्मिकों की संख्या में प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन के लिए 108 महिला कार्मिक प्रदान करें। हालांकि, अभी तक ऐसे 170 कर्मी ही एनडीआरएफ में शामिल हुए हैं। समिति एनडीआरएफ में महिला कार्मिकों की भागीदारी के विचार की सराहना करती है। वे यह जानना चाहेंगे कि प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन के लिए 108 महिला कर्मियों की संख्या कैसे तय की गई है। समिति का यह भी विचार है कि महिला खिलाड़ियों और एनसीसी की वरिष्ठ महिला कैडेटों, जो शारीरिक रूप से फिट हैं और एनडीआरएफ की पूर्व-शर्तों को पूरा करती हैं, को शामिल करने के लिए विचार किया जा सकता है ताकि प्रत्येक एनडीआरएफ बटालियन में पर्याप्त महिला कार्मिकों की उपस्थिति एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित की जा सके।

14. समिति ने नोट किया है कि प्रचालनात्मक दक्षता को बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ को अतिरिक्त उपस्कर (कटिंग टूल्स) प्राधिकृत किए गए हैं और डीप डाइविंग उपस्करों के प्राधिकार को भी संशोधित किया गया है। 2017 में, एनडीआरएफ बटालियन से एनडीआरएफ टीमों की तेजी से आवाजाही को सक्षम करने के लिए वाहनों की संख्या 80 से बढ़ाकर 104 प्रति बटालियन कर दी गई थी। समिति, जब विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न आपदा अनुक्रिया उपस्करों की प्राधिकृत और मौजूदा संख्या के ब्यौरे की जांच की तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ब्रिक हैमर, चिपिंग हैमर बिट्स, चिपिंग हैमर बिट्स फ्लैट, मल्टी पैरा मॉनीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और नेबुलाइजर जैसी वस्तुओं की संख्या में भारी अंतर है। उन्होंने यह भी पाया कि लगभग 10 वस्तुएं, जो एनडीआरएफ के लिए प्राधिकृत हैं, इसका हिस्सा नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, समिति को यह भी पता चलता है कि एनडीआरएफ को प्राधिकृत लगभग सभी मदों की भारी कमी हो गई है। समिति चाहती है कि मंत्रालय अतीत और भविष्य में भी आपदा राहत प्रबंधन पर उपकरणों की इतनी बड़ी कमी के प्रतिकूल प्रभाव की गंभीरता को समझे। समिति उस तंत्र के बारे में जानना चाहती है जिसके माध्यम से उपस्करों को प्राधिकृत किया जाता है और उनकी संख्या का विश्लेषण किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उपस्करों की कमी की समयबद्ध तरीके से समीक्षा की जाए और शेष उपस्करों को बिना किसी देरी के खरीदा जाए।

15. समिति ने देश और विदेश में आपदाओं के दौरान लोगों और जानवरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए सिफारिश की है कि आपदा के बाद की समीक्षा के लिए एक तंत्र होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कमियों की पहचान की जा सके और उनकी तैयारियों

को और मजबूत किया जा सके। पिछली आपदाओं और आपदा के बाद से सीखे गए सबक को विभिन्न क्षेत्रों पर लागू होना चाहिए जैसे कि (क) बेहतर संभार तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (प्रापण, भण्डारण, परिवहन और संचार सहित) की आवश्यकता (ख) मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए रिजर्व जनशक्ति के रूप में कार्मिकों का प्रशिक्षण (ग) जिम्मेदारियों का स्पष्ट चित्रण और मजबूत संचार लाइनें (घ) भागीदार एजेंसियों, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार आदि का समन्वय (ई) पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा आदि। समय के साथ, एनडीआरएफ का उद्देश्य केवल बचाव कार्यों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समग्र रूप से राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण भी होना चाहिए। विषयगत क्षेत्र (i) रोकथाम और शमन (ii) तैयारी (iii) प्रतिक्रिया (iv) बचाव और पुनर्वास होना चाहिए। समिति यह विश्वास करना चाहेगी कि एनडीआरएफ के अब तक के अनुभव के आधार पर इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। अतः, समिति विशेषरूप से प्रतिकूल जलवायु घटनाओं/सशस्त्र संघर्षों और इसी तरह की आपदाओं के कारण आसन्न आपदाओं, जो अब पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही हैं, के वर्तमान परिदृश्य में आपदा की रोकथाम और उसकी तैयारियों के संबंध में मंत्रालय के भावी दृष्टिकोण से अवगत होना चाहती है।

नई दिल्ली;
31 मार्च, 2022
10 चैत्र, 1944 (शक)

गिरीश भालचंद्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

अनुलग्नक

F.No.2-2/2010-NDRF
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Disaster Management Division

3rd Floor, 'B' Wing, NDCC-II Building,
Jai Singh Road, New Delhi
Dated, the 16th Dec, 2014

To

The Director General,
National Disaster Response Force
East Block No. VII, Level-07
R.K. Puram, New Delhi-66.

Subject: Standing Operating Procedure (SOP) for deployment of NDRF.

Sir,

I am directed to refer the subject mentioned above and to say that the competent authority has approved SOP prepared by NDRF after making some corrections. Corrected SOP is returned herewith with the request to circulate the same to all States/UTs accordingly.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Goutam Ghosh)
Deputy Secretary (DM-I)
Tel No.23438123

HQ DG NDRF R. K. Puram, New Delhi
DG NDRF
IG NDRF
DIG(Adm)
DIG(Trg/Ops)
DIG (Proc/Prov) 18/12
2-I/C(Trg/Ops)
DC(Adm) DC(Proc)
DC(Comn.) AC(HQ)
Sr. AO LO/OS
Dairy No. Date
9167

STANDING OPERATING PROCEDURES
(GENERAL)

1. INTRODUCTION:

DISASTER

"A catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of property, or damage to, and degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area"

India has traditionally been vulnerable to natural disasters on account of its unique geo-climatic conditions and it has, of late, like all other countries in the world, become equally vulnerable to various man-made disasters. The periodicity and intensity of disasters have increased manifold in the last few decades. In many disasters, human and economic losses could have been minimized by taking preventive, mitigation and preparedness measures. Anti-national elements find terrorism easy to adopt and cost-effective. A terrorist attack involving Nuclear, Biological and Chemical agents differs from a normal terrorist attack as it results in specific effects on health and can cause fatal injuries, creates panic, affects the morale of the community, and lowers its faith in the government. The important ingredients of an effective response system are integrated institutional arrangements, state of the art forecasting and early warning systems, failsafe communication system, rapid evacuation of threatened communities, quick deployment of specialized response forces and coordination and synergy among various agencies at various levels in dealing with any disaster. Most importantly, all the agencies and their functionaries must clearly understand their roles and responsibilities and the specific actions they have to take for responding to disaster or disaster threatening situations. **THIS SOP LAYS DOWN, IN A COMPREHENSIVE MANNER, THE SPECIFIC ACTIONS REQUIRED TO BE TAKEN BY NDRF BNS FOR RESPONDING TO NATURAL AND MAN MADE DISASTER OF ANY MAGNITUDE AND ANY DIMENSION.**

2. TYPES OF DISASTERS WHERE NDRF WILL RESPOND

(i) Major Natural Disasters:-

a) Earthquakes
b) Floods
c) Cyclones
d) Landslides
e) Tsunamis
f) Avalanches

(ii) Man Made Disasters:-

a) Chemical disasters.
b) Biological disasters.
c) Radiological and Nuclear events
d) Train Accidents.
e) Building collapse events.

(iii) Any other disaster, for which the State / District authorities make a specific requisition, with the exception of fire accidents.

3. [illegible]

1) Provide specialised response for rescue and relief in case of disasters-natural and manmade.
2) Deployment in case of impending disasters.
3) Assistance to civil authorities in distribution of relief material during/after disaster.
4) Co-ordination with other agencies engaged in rescue/relief work

4. NDRF TASKS

1) Deployment in case of impending disaster.
2) Provide specialist response in case of disasters which covers
   a) NBC Disaster (Decontamination of the area and personnel).
   b) Removal of debris.
   c) Extrication of victims-live or dead.
   d) First medical response to victims.
   e) To extend moral support to victims.
   f) Assistance to civil authorities in distribution of relief material.
3) Co-ordination with sister agencies.

[illegible] OF THE SOP

To provide, in a concise and convenient form, a list of major executive actions involved in responding to natural and manmade disasters and the necessary measures for preparedness, response and relief required to be taken. To achieve maximum result in minimum time for any force, a well defined Operating Procedure is required to be framed. This procedure is called the Standard Operating Procedure (SOP). The SOP is made keeping in view the role and the objectives of the force. In the case of NDRF, the force has to respond within the minimum time frame to reach the place of disaster with the designated required equipment. The SOP has been prepared keeping in mind the motto of NDRF, i.e. '**AAPADA SEWA SADAIV**'.

[illegible] FOR RESPONSE OF [illegible] PHASE

State Government may request for pre-positioning of the Unit/Sub-units of the NDRF as a measure of pro-active response to deal with the impending disaster when there are plausible reasons to believe that gravity of the disaster will be unmanageable for the State Government. The contact numbers and place of deployment of NDRF units are given at Appendix-"A"

7. [illegible] FOR RESPONSE OF [illegible] DISASTER PHASE

State government or the concern District Magistrate may request for the specialized disaster response of the Team (s) or Coy (s) of the NDRF to deal with the disaster when it is of Level-III i.e. when the gravity of the disaster is so severe that it becomes unmanageable for the State government to deal with even after having made the proper use of SDRF.

REQUISITIONING AUTHORITY

The following State Government Authorities can seek requisition for NDRF teams along with complete details of the disaster which takes place in their area of responsibility :-

- Principal Secretaries of the States dealing with Disaster Management
- Relief Commissioners of the States
- Collectors/DCs /DMs of the districts

Maximum available details which would be required to provide rescue and relief should be passed on to the identified NDRF Bn, as per requisition form attached at Appendix - B.

9. AUTHORITY TO ACCEPT REQUISITION

NDRF Teams can be requisitioned for natural as well as manmade disasters. This requisition can be sent to the following:-

- MHA
- NDMA
- HQ DG NDRF
- NDRF BNs.

MHA & NDMA in turn will direct HQ DG NDRF for deployment of NDRF personal which will be done accordingly after consultation with respective Commandant and same will be intimated to MHA & NDMA.

In case the requisition is placed directly to NDRF Bns due to emergent nature of situation, the Commandants will deploy NDRF personnel immediately and intimate the same to HQ DG NDRF/ MHA / NDMA.

10. DECISION OF DEPLOYMENT

As per the provision of DM act 2005, the District Management Authorities chaired by District Magistrate/Deputy Commissioner/District Collector of a District shall be responsible for overall supervision and monitoring of Disaster Management in the district. The District Authorities will give the detailed information about any disaster to the respective NDRF unit. The Unit Commandant, after getting detailed information form the Nodal officer, will consult HQ NDRF and decide the quantum of deployment for the said disaster i.e how many teams to be deployed for the subject operation. HQ NDRF will intimate the subject deployment to MHA DM(Div) and NDMA through the fastest mode of

communication also. The team which will move for rescue work will be self-contained and carry tentage, medicines ready-made food for 72 hrs, ration and utensils for them.

Bn Commandant in consultation with the State authority will decide mode of conveyance of the teams to be deployed for the said emergency response. Firstly one advance party will rush for the disaster site followed by the main body in their own transportation. If the air lifting is to be done, then the requisition will go to Air Authority through the State Authority. The State Authority will arrange accommodation, if possible and transportation at disaster site. The State will be responsible for providing security backup to the teams during deployment.

It is important to mention here that NDRF is not tasked with the maintenance of law and order in a disaster zone area. Furthermore, the safety and security of the victim and personnel involved in the search, rescue and relief operation including the NDRF personnel shall also be the responsibility of State/Local Authorities.

This phase describes the actions required to be taken when coys/teams have been instructed that disaster management operations are to be ceased and withdrawal has to be commenced by Coy Comdr/Team Comdr in consultation with the nodal officer and after getting clearance from HQ DG NDRF. The exit strategy will be executed as per the initial plan of action. All coy comdrs/team comdrs must try and ensure a handover note specifying what is being handed over and to whom to ensure proper preparedness and a smooth transition. A detailed report should be prepared by the Bn after the operation is over and file for record with HQs NDRF. This report should make a clear mention of immediate steps to be taken to fill the gaps or seek any improvement in the existing system. Following actions are to be ensured:-

1. Mode of transportation will be decided for de-induction in consultation with the State Authority. The State authorities

shall be responsible for providing the transport to the NDRF teams to return to their units.

2. Clearance from local authorities.

3. EOC, along with the adm base, shall be the last to demobilize from the disaster site.

POST DISASTER PHASE

It is a phase for critical analysis of the entire rescue operation carried by the Bn. The joint appraisal report of the performance shall also be prepared by the Bn commandant and State authority after de-induction of the rescue teams. After this, a report regarding the short comings of the rescue operations and the lessons learnt will also be drawn up. The post disaster phase will also include:

a) Submission of the post-disaster report.

b) Conducting of a lesson-learnt review to improve the overall effectiveness and efficiency for response to future disaster.

c) Repair and maintenance of equipment

d) Condemnation of equipment.

e) Medical check ups of all members of operational groups.

f) Treatment for injured troops during rescue operations.

g) Accounting for rescue material used and not used.

h) Accounting for rescue material lost/not retrieved.

i) Drawing a case study of entire disaster rescue operation.

j) Post psychometric treatment i.e. men must be sent to meet their family members.

CONCLUSION

This SOP is a guideline for successful response in any kind of disaster. It should be followed in letter and spirit. It is only then that NDRF will prove its worth in an effective manner and be seen as an elite force in the field of disaster management.

Appendix 'A'

HQ DG NDRF, NDCC-II BUILDING JAI SINGH ROAD, NEW DELHI

Sl No.	Rank	Office Number
1	DG	011-23438020 011-23438119
2.	IG	011-23438021
3.	DIG	011-23438023
4.	Control Room	011-23438091 011-23438136

DEPLOYMENT OF NDRF BATTALIONS

S/No	Name of Bn	Rank/Contact No.	Area of responsibility (State wise)	Control Room Contact No.
01	01 Bn NDRF, Guwahati (Assam)	Commandant 09401307887 (M) 0361-2843406 (O)	Assam (24 Districts) Meghalaya, Tripura, Mizoram	0361-2840284 9401048790 9435117246
02	02 Bn NDRF Haringhata, Nadia (WB)	Commandant 09434742836 (M) 033-25873607 (O)	West Bengal & Sikkim.	9474061104 033-25737080
03	03 Bn NDRF Mundali (Odisha)	Commandant 09437964571 (M) 0671-2879710 (O)	Odisha & Chhattisgarh.	0671 – 2879711 9437581614 9937187222
04	04 Bn NDRF Arakkonam (Tamilnadu)	Commandant 07358232058 04177- 246269 (O)	Kerala, Tamil Nadu , Puducherry, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep.	04177-246594
05	05 Bn NDRF Pune (Maharashtra)	Commandant 09423506765(M) 02114-247010 (O) 02114-231343 (R)	Maharashtra & Goa	02114-247000 02114-247008
06	06 Bn NDRF, Vadodara (Gujarat)	Commandant 09428826445 (M) 02668-274470 (O)	Gujarat, Rajasthan, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu	02668-274470 02668-274245 9429469388
07	07 Bn NDRF, Bhatinda (Punjab)	Commandant 09417802032(M) 0164-2246030(O) 0164-2246930 (R)	Chandigarh, Himachal Pradesh Punjab, J&K	0164 – 2246570 9465884344
08	08 Bn NDRF, Ghaziabad (UP)	Commandant 09968610014 (M) 0120-2766013 (O)	Delhi, Haryana, Uttar Pradesh (18 District)	0120 – 2766618 0120 – 2766012 9412221035
09	09 Bn NDRF Patna (Bihar)	Commandant 07762884444 (M) 06115-253942 (O)	Bihar & Jharkhand	06115-253939 8544415049 8544415050
10	10 Bn NDRF, Vijaywada (Andhra Pradesh)	Commandant 07382299621(M) 0863-2293178 (O)	Andhra Pradesh, Karnataka &Telangana	0863-2293050 08333068559

11	11 Bn NDRF Varanasi (UP)	Commandant 09455511107(M) 0542-2501202 (O)	Madhya Pradesh, Uttar Pradesh (57 Districts)	0542-2501101 8004931410
12	12 Bn NDRF Doimukh Arunachal Pradesh	Commandant 09485236141(M) 0360-2279104 (O)	Assam (09 districts), Arunachal Pradesh, Manipur & Nagaland	0360-2277106 9485235464

Appendix-'B'

FORM TO REQUISITION NDRF TEAM(S)

1. Date of requisition :
2. Nature of Disaster/purpose of requisitioning NDRF team :
3. Date & time of occurrence :
4. Details of affected Area & population :
5. No. of teams being requisitioned :
6. Nearest Railhead :
7. Nearest Airport :
   (In case NDRF teams are to be airlifted, it is requested to place the requisition to Indian Air Force with copy to DM Div. MHA, NDMA & HQ NDRF)
8. Agencies already involved in rescue operation
   i) Central agencies (Please also provide nodal person's contact) :
   ii) State agencies (Please also provide nodal person's contact) :
9. Trapped/ rescued/ evacuated & missing persons
   i) No. of persons trapped :
   ii) No. of persons Rescued/ Evacuated :
   iii) No. of persons Missing :
10. Nodal Officer of State/Distt.
    i) Name :
    ii) Contact No.
    iii) Address
11. Any other relevant information

Signature of requisitioning authority
Name :
Phone No :
Address :

अनुबंध-I

प्राक्कलन समिति (2020-21) की अठारहवीं बैठक की कार्यवाही

समिति की बैठक गुरुवार, 8 अप्रैल, 2021 को 1450 बजे से 1600 बजे तक समिति कक्ष संख्या '1', प्रथम तल, ब्लॉक-ए, संसद भवन एनेक्सी, विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश भालचंद्र बापट - अध्यक्ष

सदस्य

2. श्री कुंवर दानिश अली
3. श्री सुदर्शन भगत
4. श्री पी.पी. चौधरी
5. श्री निहाल चंद चौहान
6. डॉ. संजय जायसवाल
7. श्री दयानिधि मारन
8. श्री के. मुरलीधरन
9. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
10. श्री विनायक भाऊराव राउत
11. श्री अशोक कुमार रावत
12. श्री राजीव प्रताप रूडी
13. श्री फ्रांसिस्को कॉस्मे सरडीन्हा
14. श्री जुगल किशोर शर्मा
15. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
16. श्री प्रवेश साहिब सिंह

सचिवालय

1. श्रीमती ए. ज्योतिर्मयी - अतिरिक्त निदेशक
2. श्री आर.एस. नेगी - उप सचिव

साक्षी

1. श्री गोविंद मोहन - अपर सचिव (यूटी), एमएचए
2. श्री एस.एन. प्रधान - महानिदेशक, एनडीआरएफ

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के एजेंडे 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा' विषय के संबंध में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य

के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सदस्यों को यह भी बताया कि गृह सचिव ने तत्कालिक आवश्यकता के कारण समिति की बैठक में भाग लेने से छूट देने का अनुरोध किया था। संक्षिप्त चर्चा के बाद गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया।

3. अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें समिति में अपना परिचय देने को कहा। उन्होंने समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के 55(1) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

4. इसके बाद गृह मंत्रालय और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। तब सदस्यों ने इस विषय से संबंधित मुद्दों पर कई प्रश्न/सुझाव उठाए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र से वितीय आवंटन, राज्यों का योगदान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जिम्मेदारी, एसडीआरएफ को प्रशिक्षण, आपदाओं के दौरान एनसीसी की भागीदारी, आपदा के समय हेलीकॉप्टर की उपलब्धता शामिल थे। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली मांग, बल में महिलाओं की भागीदारी, स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल करना आदि।

अध्यक्षता {श्री राजीव प्रताप रूडी}

सदस्यों ने धन आवंटन की कमी के कारण आने वाली समस्याओं, उत्तराखंड के चमोली जिले में हाल की आपदा पर विवरण, आपदा संभावित क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता, मानव आवास में जानवरों के हमले, विशेष और तत्काल प्रतिक्रिया के लिए उठाए गए कदमों पर, उपकरणों को अधिक कुशलता से संभालना, बल को बढ़ाना, सभी स्कूल और कॉलेजों में आपदा प्रशिक्षण, जंगल की आग, कर्मियों के सेवा संबंधी मुद्दे आदि पर स्पष्टीकरण मांगा।

5. सदस्यों के प्रश्नों का मंत्रालय और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत उत्तर दिया गया। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष ने साक्षियों को उपयोगी जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया और उनसे उन मुद्दों पर लिखित जवाब देने को कहा, जिनका बैठक के दौरान जवाब नहीं दिया जा सका।

6. समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही को रिकार्ड में रखा गया है।

इसके बाद समिति की बैठक स्थगित कर दी गयी।

[खंडनः हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]

अनुबंध-II

प्राक्कलन समिति (2021-22) की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को **1600** बजे से **1650** बजे तक कमरा नं. **'52 -बी'**, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में **बैठी।**

उपस्थित

श्री गिरीश भालचंद्र बापट - **अध्यक्ष**

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री सुदर्शन भगत
4. श्री निहाल चंद चौहान
5. श्री हरीश द्विवेदी
6. श्री पर्वतागौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदार
7. डॉ. संजय जायसवाल
8. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
9. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
10. श्री दयानिधि मारान
11. श्री के. मुरलीधरन
12. डॉ केसी पटेल
13. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी
14. श्री दिलीप सैकिया
15. श्री जुगल किशोर शर्मा
16. श्री प्रताप सिम्हा
17. श्री केसिनेनी श्रीनिवास

सचिवालय

1. श्री मुरलीधरन. पी - निदेशक
2. श्रीमती गीता परमार - अपर निदेशक

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें क्रमशः अनुलग्नक और में दर्शाए गए कुछ परिवर्धन/संशोधनों के साथ अंगीकृत किया :

(i) गृह मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की समीक्षा' विषय पर प्राक्कलन समिति को तेहरवां प्रारूप प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा); तथा

(ii) XXXX XXXX XXXX

3. समिति ने तब अध्यक्ष को, संबंधित मंत्रालय से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे लोक सभा को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

4. XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुलग्नक ' क'

तेरहवीं रिपोर्ट के मसौदे में समिति द्वारा किए गए संशोधन

पृष्ठ सं	पैरा नं	लाइन नंबर	के लिये	पढ़ना
56	8	10	**के बाद:** जापान, **जोड़ें:** इज़राइल आदि।	
57	9	25	**बाद में:** सीएपीएफ कर्मियों **जोड़ें :** उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित वरिष्ठ एनसीसी कैडेट	
57	9	28	**के बाद:** आपदा **जोड़ें :** समिति का यह भी मत है कि बीएसएफ और एसएसबी को भी किसी आपदा के दौरान जरूरत महसूस होने पर एनडीआरएफ/एसडीआरएफ को सहायता/सहायता प्रदान करनी चाहिए। समिति की इच्छा मंत्रालय इन उपायों पर विचार करे और इस पर की गई किसी भी कार्रवाई से उन्हें अवगत कराए।	
59	11	14	**के बाद:** सम्भावना है **जोड़ें :** इस संबंध में, समिति महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहती है, जो कि आपदा संभावित क्षेत्र है, फिर भी इसे संभालने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित होने के लिए छोटे हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता है।	
62	15	11	**के बाद :** का समन्वय **जोड़ें:** (ई) पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा	